उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 4 अंक 2 16-31 जनवरी 2021 ₹ 20/-

विवादित जौहर यूनिवर्सिटी को सरकारी नियंत्रण में लेने की तैयारी

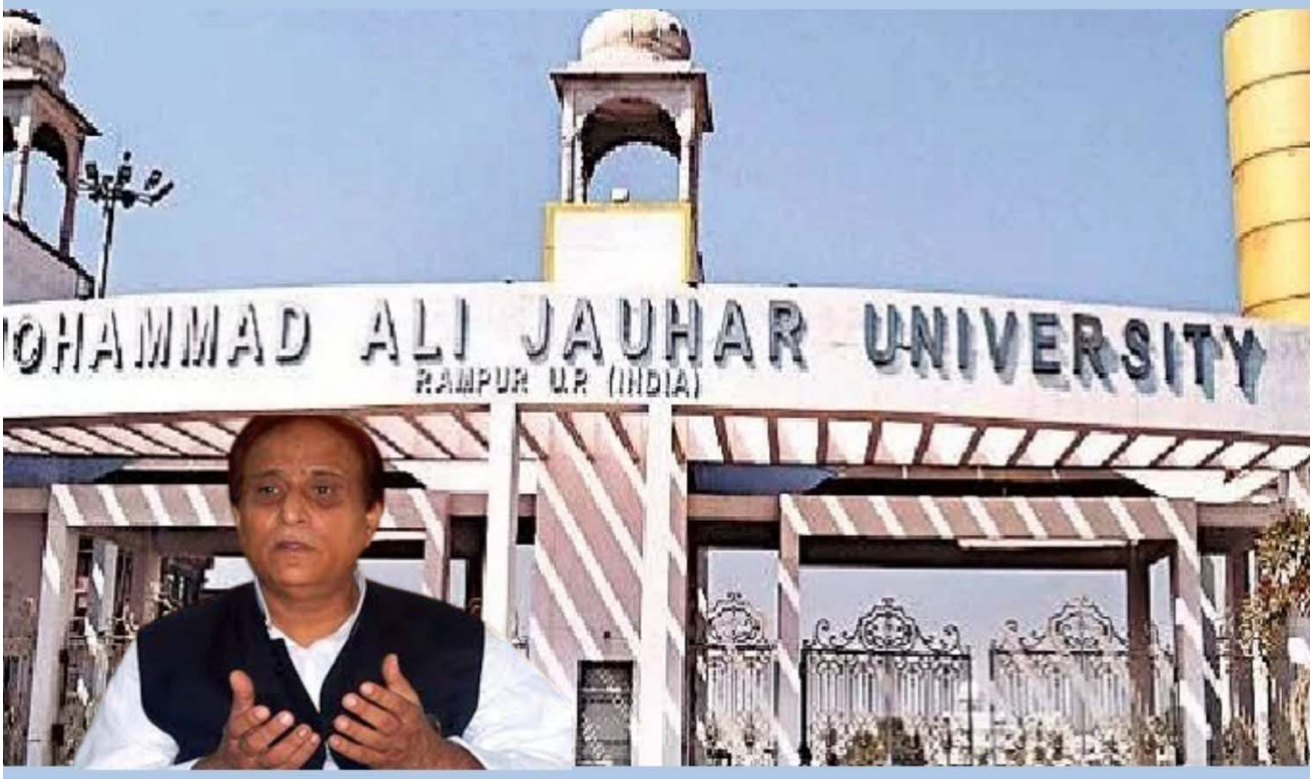

- पद्म सम्मान और मुसलमान
- इजरायल द्वारा ईरान पर हमले की तैयारी
- बाइडेन ने मुस्लिम देशों के नागरिकों पर लगे प्रतिबंध हटाए
- यूएई का इजरायल में दूतावास खोलने का फैसला

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी-51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष: 011-26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक-प्रकाशक: मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी-51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली-110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए-102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-2, नई दिल्ली-110020 मुद्रित

* अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

विवादित जौहर यूनिवर्सिटी को सरकारी नियंत्रण में लेने की तैयारी 04
पद्म सम्मान और मुसलमान 07
मोदी काल में अल्पसंख्यक कल्याण योजना में भारी वृद्धि 10
गणतंत्र दिवस परेड में मंदिरों की झांकियों से अतिवादी परेशान 11
बाबरी मस्जिद के बदले मिली जमीन पर नई मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू 15

विश्व

बाइडेन ने मुस्लिम देशों के नागरिकों पर लगे प्रतिबंध हटाए 18
दो पाकिस्तानी संगठन आतंकवादी संगठनों की सूची में शामिल 20
अफगानिस्तान में खेली जा रही है खून की होली 22
अफगान शांति वार्ता पर पुनर्विचार 22
मलेशिया में पाकिस्तानी यात्री विमान जब्त 24
तुर्की और पाकिस्तान में रक्षा सहयोग 24

पश्चिम एशिया

अमेरिका की पश्चिम एशिया नीति में परिवर्तन के संकेत 25
सऊदी अरब में साढ़े ग्यारह अरब रियाल के घोटाले का पर्दाफाश 27
इजरायल द्वारा ईरान पर हमले की तैयारी 27
सऊदी अरब की राजधानी में धमाके 28
ईरान द्वारा आधुनिक बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन का सफल परीक्षण 29

अन्य

संयुक्त अरब अमीरात का इजरायल में दूतावास खोलने का फैसला 30
मुस्लिम समाज में बढ़ते अपराधों पर चिंता 30
पश्चिम बंगाल में एक नई मुस्लिम राजनीतिक पार्टी 31
दरगाह प्रमुखों की मुख्तार अब्बास नकवी से मुलाकात 32
फ्रांस की नौ मस्जिदों पर ताला 33
भाजपा को मुसलमानों में लोकप्रिय बनाने का अभियान 33

सारांश

अयोध्या में बनने वाले प्रस्तावित राम मंदिर और यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व सांस्कृतिक धरोहर के कुछ मंदिरों की झांकियां गणतंत्र दिवस परेड में इस वर्ष शामिल की गईं थीं। मगर यह बात कुछ अतिवादी मुस्लिम संगठनों और समाचारपत्रों को पसंद नहीं आई इसलिए उन्होंने इस पर जमकर निशाना साधा। इससे पूर्व राम मंदिर निर्माण के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जो पांच लाख रुपये का चंदा दिया था उससे भी अनेक मुस्लिम संगठनों और छद्म सेक्युलरवादियों को भारी परेशानी हुई है। बड़ी अजीब बात है कि इन लोगों को भारतीय संस्कृति के प्रतीकों में देश का सेक्युलरिज्म और संविधान खतरे में नजर आता है। मगर जब देश में कॉमन सिविल कोड, तीन तलाक और मदरसों के आधुनिकीकरण की मांग उठती है तो ये लोग सेक्युलरिज्म और भारतीय संविधान को भूलकर शरिया लॉ, कुरान और हदीस की शरण लेना शुरू कर देते हैं।

अयोध्या के समीप धन्नीपुर गांव में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बाबरी मस्जिद के विकल्प के रूप में दी गई पांच एकड़ भूमि पर नई मस्जिद, अस्पताल और सांस्कृतिक अनुसंधान केन्द्र आदि का निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है। हालांकि मुसलमानों का एक वर्ग इसका विरोध कर रहा है। उनका तर्क यह है कि शरा के मुताबिक प्रस्तावित मस्जिद जायज नहीं है।

रामपुर में स्थापित मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय एक बार फिर विवादों में है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस आरोप की प्रशासकीय जांच की गई थी कि इस विश्वविद्यालय को संचालित करने वाले ट्रस्ट ने अवैध रूप से सरकारी भूमि, कस्टोडियन की भूमि और कोसी नदी की भूमि पर कब्जा करके उसे इस विश्वविद्यालय के परिसर में शामिल किया गया है। इसलिए एक न्यायालय ने आदेश जारी किया है कि इस विश्वविद्यालय के ट्रस्ट ने जिस सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया था उसे फिर से सरकार अपने कब्जे में ले ले। इस सरकारी फैसले का एक वर्ग द्वारा विरोध किया जा रहा है और राज्य में अनेक जगह पर मुसलमानों ने विरोध प्रदर्शन भी किए हैं।

अलीगढ़ छात्र यूनियन के पूर्व सचिव और समाजवादी पार्टी के मुस्लिम चेहरे मोहम्मद आजम खान ने दूसरा सर सैयद अहमद बनकर एक नई अलीगढ़ विश्वविद्यालय स्थापित करने का मंसूबा बनाया था। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में उन्होंने सरकार की ओर से एक उर्दू विश्वविद्यालय स्थापित करने का शोशा छोड़ा था और इसकी आधारशिला मुलायम सिंह यादव से रखवाई गई थी। बहुजन समाज पार्टी के सत्ता में आने के बाद यह मंसूबा खटाई में पड़ गया। मगर बाद में अखिलेश यादव की सरकार ने प्राइवेट यूनिवर्सिटी के रूप में इसे मान्यता प्रदान कर दी।

केन्द्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने हाल ही में केन्द्रीय वक्फ काउंसिल की बैठक को संबोधित करते हुए दावा किया है कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए युद्ध स्तर पर कार्य हो रहा है। उन्होंने कहा कि 2014 तक अल्पसंख्यकों के कल्याण की योजनाएं देश के केवल 90 जिलों तक ही सीमित थीं मगर गत छह वर्षों में इन योजनाओं का विस्तार 308 जिलों तथा 870 ब्लॉकों में हो गया है और इन योजनाओं से अल्पसंख्यकों के उत्थान में भारी गति आई है।

अमेरिका में नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पश्चिम एशिया से संबंधित नीति में कई बड़े परिवर्तन करने के संकेत दिए हैं। उदाहरण के रूप में ट्रम्प प्रशासन ने सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को सैनिक अस्त्र-शस्त्र सप्लाई करने के जो समझौते किए थे उन्हें फिलहाल खटाई में डाल दिया गया है। इसके साथ ही नए प्रशासन ने यमन में हूती विद्रोहियों को आतंकवादी घोषित करने के मुद्दे पर भी पुनर्विचार करने का आश्वासन दिया है। नए प्रशासन ने यह भी संकेत दिया है कि विभिन्न अरब देशों के साथ अमेरिका ने जो रक्षा समझौते किए थे उन पर पुनर्विचार किया जाएगा। इस अमेरिकी नीति के कारण सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में काफी परेशानी महसूस की जा रही है।

राष्ट्रीय

विवादित जौहर यूनिवर्सिटी को सरकारी नियंत्रण में लेने की तैयारी

समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री आजम खान ने रामपुर में जिस मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की स्थापना की थी वह प्रारम्भ से ही विवादों के घेरे में रही है। अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने उसका प्रबंधन अपने नियंत्रण में लेने की तैयारी शुरू कर दी है। रामपुर के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश जगदम्बा प्रसाद ने सरकार को यह निर्देश दिया है कि वह इस विश्वविद्यालय की 1400 बीघा भूमि को अपने नियंत्रण में ले ले। 2005 में हुए समझौते के अनुसार इस विश्वविद्यालय को साढ़े बारह एकड़ भूमि खरीदने की अनुमति दी गई थी। अब न्यायालय के निर्देश के बाद सरकार सरकारी भूमि को पुनः अपने नियंत्रण में ले रही है, जिसके बारे में यह आरोप है कि इसे मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट ने धोखाधड़ी से अपने कब्जे में लिया था। इस ट्रस्ट के चेयरमैन पूर्व मंत्री आजम खान हैं।

इंकलाब (17 जनवरी) के अनुसार अतिरिक्त जिला न्यायाधीश जगदम्बा प्रसाद की न्यायालय ने जौहर विश्वविद्यालय की 1400 बीघा जमीन को सरकारी खाते में दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। समाचार के अनुसार सरकार और ट्रस्ट के बीच जो समझौता हुआ था उसमें यह कहा गयाथा कि इस संस्थान में गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। मगर इन शर्तों का उल्लंघन किया गया। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संयोजक आकाश सक्सेना ने मुख्यमंत्री से यह शिकायतय की थी कि इस विश्वविद्यालय की आड़ में सरकारी जमीन और आम लोगों की जमीन पर जबरन कब्जा किया गया है। इस पर प्रशासन ने इन आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया था जो जांच के बाद सही साबित हुआ। इसके बाद यह मुकदमा दायर किया गया था। न्यायालय में सरकारी वकील अजय तिवारी ने इस बात पर जोर दिया कि ट्रस्ट ने

सरकार के साथ हुए समझौते का उल्लंघन किया है। इसलिए साढ़े बारह एकड़ से जो भी भूमि ज्यादा है वह सरकारी खाते में दर्ज की जानी चाहिए। जबकि ट्रस्ट के वकील का कहना था कि आजम खान ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। वे जेल में बंद हैं और उनका बयान दर्ज करने के लिए न्यायालय को किसी व्यक्ति को सीतापुर जेल भेजना चाहिए। लेकिन न्यायालय ने उनकी बात को अस्वीकार कर दिया। ट्रस्ट ने उच्च न्यायालय में भी अपील की थी मगर उच्च न्यायालय ने भी इस याचिका को खारिज कर दिया।

इंकलाब (18 जनवरी) के अनुसार रामपुर के जिलाधिकारी ने प्रदेश सरकार को एक रिपोर्ट भेजी थी जिसमें यह कहा गया था कि जौहर ट्रस्ट ने 2005 से लेकर अब तक लगभग 75 हेक्टेयर जमीन खरीदी है। मुलायम सिंह की समाजवादी सरकार ने यह निर्णय किया था कि इस ट्रस्ट को जमीन खरीदने पर रियायत दी जाए। प्रशासन द्वारा की गई जांच के अनुसार इस बात के प्रमाण मिले हैं कि 70 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन की खरीद में सरकारी नियमों का उल्लंघन हुआ है। न्यायालय के ताजा निर्देश के अनुसार अब सरकार इस विश्वविद्यालय को अपने नियंत्रण में भी ले सकती है। जौहर यूनिवर्सिटी आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। इसकी आधारशिला 18 सितंबर, 2006 को रखी गई थी। 18 सितंबर, 2012 को इसका उद्घाटन किया गया था। यह विश्वविद्यालय शुरू से विवादों के घेरे में रहा है और उस पर यह आरोप लगते रहे हैं कि इस विश्वविद्यालय की आड़ में किसानों की भूमि पर जबरन कब्जा किया गया है। इसके अलावा यह भी आरोप है कि ट्रस्ट ने कस्टोडियन और कोसी नदी की भूमि पर भी अवैध रूप से कब्जा किया है।

इंकलाब (19 जनवरी) के अनुसार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यह आरोप लगाया है कि आजम खान पर जितने भी मुकदमे भाजपा सरकार ने दर्ज करवाए हैं वे सभी फर्जी हैं इसलिए वे आजम खान के साथ हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार इस विश्वविद्यालय का नाम बदलने का प्रयास कर रही है। मगर हम इसका नाम बदलने नहीं देंगे।

रोजनामा सहारा (22 जनवरी) के अनुसार नजीबाबाद में हुए समाजवादी पार्टी के एक सम्मेलन में यह मांग की गई कि जौहर यूनिवर्सिटी की जिस भूमि पर सरकार ने कब्जा किया है उसे वापस किया जाए। राष्ट्रपति को भेजे एक ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया गया है कि प्रदेश सरकार पूंजीपतियों के इशारे पर इस विश्वविद्यालय को खत्म करने का प्रयास कर रही है।

रोजनामा सहारा (23 जनवरी) के अनुसार ऐसे ही सम्मेलन का आयोजन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई नगरों में हुए हैं, जिनमें सरकार पर इस विश्वविद्यालय को जानबूझकर तबाह करने का आरोप लगाया गया है।

मुंबई उर्दू न्यूज (22 जनवरी) के अनुसार फर्जी जन्म प्रमाण पत्र केस में इलाहाबाद उच्च न्यायालय से समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान, उनकी पत्नी और उनके बेटे को राहत मिली है। उनकी जमानत रद्द करने की उत्तर प्रदेश सरकार की अर्जी को सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने के आरोप में इन तीनों की जमानत अर्जी को स्वीकार कर लिया था और उन्हें फौरन रिहा करने का आदेश दिया था।

मुंबई उर्दू न्यूज (24 जनवरी) में मासूम मुरादाबादी का एक लेख प्रकाशित हुआ है जिसका शीर्षक है, "जौहर विश्वविद्यालय पर खतरे के बादल।" लेख में कहा गया है कि जौहर ट्रस्ट के नाम अलॉट की गई 173 एकड़ जमीन का अलॉटमेंट रद्द कर दिया गया है। लेख में यह आरोप लगाया गया है कि यह फैसला एकपक्षीय है। क्योंकि न्यायालय में ट्रस्ट को अपना पक्ष पेश करने का अवसर नहीं दिया गया है। इस विश्वविद्यालय को 2006 में सरकार ने एक प्राइवेट विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी थी। यह विश्वविद्यालय शुरू से ही विवादों का शिकार रहा है। पहला विवाद विश्वविद्यालय के संस्थापक मोहम्मद आजम खान को जीवन भर के लिए चांसलर बनाने का था जिसके कारण विश्वविद्यालय की मान्यता में बाधा आई। बाद में उत्तर प्रदेश विधान सभा में एक विशेष बिल पास करके इस अड़चन को दूर किया गया। इसके बाद भी यह आरोप लगते रहे कि इस विश्वविद्यालय के नाम पर लोगों की जमीन पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। अब सरकार की ओर से विश्वविद्यालय की भूमि पर कब्जा करने के बाद उन लोगों में निराशा फैल गई है जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के तर्ज पर एक नया विश्वविद्यालय बनने पर प्रसन्न थे। आजम खान और उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम पिछले एक वर्ष से सीतापुर जेल में कैद हैं और उनकी पत्नी तथा रामपुर नगर की विधायक तज़ीन फातिमा को हाल ही में उच्च न्यायालय से जमानत मिली है, जिसे रद्द करवाने के लिए राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय तक गई थी मगर उसे सफलता नहीं मिली। आजम खान और उनके परिवार के खिलाफ 100 से अधिक मुकदमें न्यायालय में विचाराधीन हैं।

आजम खान अनेक बार रामपुर से उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रह चुके हैं। जब वे एक बार अपने चुनाव क्षेत्र से हार गए तो मुलायम सिंह ने उन्हें राज्य सभा का सदस्य बना दिया। आजम खान ने लोकसभा के पिछले चुनाव में रामपुर क्षेत्र से भारी वोटों से जीत प्राप्त की थी। मगर बाद में उन्हें, उनकी पत्नी और बेटे को विभिन्न आरोपों में जेल भेज दिया गया। इनमें एक आरोप यह भी था कि उनके बेटे अब्दुल्ला आजम का जन्म प्रमाण पत्र फर्जी है। जहां तक आजम खान का संबंध है उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से कानून की शिक्षा प्राप्त की थी और वहां के छात्र संघ के सचिव भी रहे। 1975 में आपातकाल के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और वे डेढ़ वर्ष तक जेल में रहे। आपातकाल समाप्त होने के बाद वे राजनीति के मैदान में कूद पड़े। उन्हें आग उगलने वाला नेता बताया जाता है, जिसके कारण वे मुसलमानों के एक वर्ग में काफी लोकप्रिय हैं। इसके साथ यह भी कहा गया है कि उन्होंने अपने विरोधियों को अपने सत्ताकाल में काफी परेशान किया था। ऐसा महसूस होता है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इस विश्वविद्यालय को अपने नियंत्रण में लेने के लिए जाल बिछा दिया है। इसका उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का एक वर्ग विरोध कर रहा है। लेखक का कहना है कि इस विश्वविद्यालय में जो छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनके भविष्य को देखते हुए ही सरकार को कोई फैसला करना चाहिए।

पृष्ठभूमि : आजम खान ने 2004 में यह मांग की थी कि रामपुर में एक सरकारी उर्दू विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए जिसका नाम

खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली जौहर के नाम पर हो। उस समय केन्द्र में कांग्रेस की सरकार थी और राज्य के तत्कालीन राज्यपाल टी. वी. राजेश्वर ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी नहीं दी थी। उनका तर्क था कि आजम खान को इस विश्वविद्यालय का आजीवन चांसलर बनाए रखने की जो व्यवस्था की गई है वह गलत है। इस विश्वविद्यालय का विवाद पांच वर्षों तक चलता रहा। 2006 में सभी विरोधों के बावजूद उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने इस विश्वविद्यालय की आधारशिला रख दी। 2007 में सत्ता समाजवादी पार्टी के हाथ से निकलकर बहुजन समाज पार्टी के हाथों में चली गई। इससे यह योजना खटाई में पड़ गई। 2009 में आजम खान ने फिर एक चाल चली और यह तय किया कि यह विश्वविद्यालय सरकारी नहीं बल्कि एक प्राइवेट विश्वविद्यालय होगी। तीन वर्ष वे इसी विश्वविद्यालय की परिसर से एक इंजिनियरिंग कॉलेज चलाते रहे। 2012 में समाजवादी पार्टी के सत्ता में आने के बाद राज्य सरकार ने इस विश्वविद्यालय के छात्रों को दाखिल करने की अनुमति दे दी। मुलायम सिंह यादव ने इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने आजम खान की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने यह संस्थान अपनी कौम और समाज के उत्थान के लिए शुरू किया है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद यह विश्वविद्यालय फिर से विवादों के घेरे में है।

पद्म सम्मान और मुसलमान

मोदी सरकार द्वारा इस वर्ष जिन पद्म सम्मानों की घोषणा की गई है उनमें दूसरा सबसे प्रमुख सम्मान पद्म विभूषण मौलाना वहीदुद्दीन खान को दिया गया है। जबकि पद्म भूषण सम्मान शिया विद्वाना मौलाना कल्बे सादिक को प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त 11 अन्य मुसलमानों को पद्म श्री के सम्मान से नवाजा गया है।

हैरानी की बात यह है कि उर्दू के अधिकांश अखबारों ने पद्म सम्मान के इस पक्ष को नजरअंदाज किया है और किसी भी उर्दू अखबार ने अपने संपादकीय में इन मुस्लिम विद्वानों को पद्म सम्मान देने का कोई उल्लेख नहीं किया है। जहां तक इस संदर्भ में समाचार का संबंध है ढ़ाई सौ उर्दू अखबारों में से केवल एक दर्जन के

लगभग अखबारों ने ही इन दोनों मुस्लिम विद्वानों को पद्म सम्मान देने के समाचार को मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया है।

सियासत (28 जनवरी) ने अपने संपादकीय में यह मत व्यक्त किया है कि इस वर्ष मोदी सरकार ने विभिन्न हस्तियों को पद्म सम्मान से सम्मानित किया है, जिसका लक्ष्य राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति है। जिन लोगों को सम्मानित किया गया है उनकी बड़ी संख्या तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल और केरल से है। इन राज्यों में विधान सभा चुनाव शीघ्र ही होने वाले हैं। पद्म सम्मान की सूची में तमिलनाडु के 11, असम के 9, पश्चिम बंगाल के 7 और केरल के 6 लोग शामिल हैं। उदाहरण के रूप में असम में राजनीतिक रूप से जागरूक अहोम समुदाय की संतुष्टि के लिए इस समुदाय से संबंधित कई लोगों को पद्म सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसका कारण यह है कि असम के 126 विधानसभा सीटों में से 66 पर विजय की कुंजी इस समुदाय के मतदाताओं के हाथों में है। यह समाज शुरू से ही कांग्रेस का परम्परागत समर्थक रहा है। मगर 2016 के चुनाव में इन्होंने भाजपा को वोट दिया था। अब केन्द्र सरकार यह महसूस करती है कि 2019 के नागरिकता कानून के कारण इस समाज के वोट उसके हाथ से निकल जाएंगे। इसलिए असम के पूर्व कांग्रेसी मुख्यमंत्री तरूण गोगोई को भी मरणोपरांत पद्म सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसी तरह से पश्चिम बंगाल में भी कुछ बुद्धिजीवियों को पद्म सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसका लक्ष्य भी आने वाले चुनाव में भाजपा के लिए वोट प्राप्त करना है।

अवधनामा (28 जनवरी) के अनुसार लखनऊ के काजी मौलाना खालिद रसीद फिरंगी महली ने शिया नेता स्वर्गीय डॉ कल्बे सादिक को पद्म भूषण से सम्मानित किए जाने का स्वागत किया है। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के नेता जफरयाब जिलानी ने कहा है कि स्वर्गीय कल्बे सादिक मुसलमानों के विभिन्न फिरकों के बीच एक पुल का काम करते थे। हालांकि वे एक शिया विद्वान थे, मगर सुन्नी समाज में भी उनकी बहुत इज्जत थी। वे हिन्दू-मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे। मुस्लिम समाज को शिक्षित करने में भी उनका अहम योगदान रहा है और शिक्षा के प्रसार के लिए तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट स्थपित किया जिसका लक्ष्य समाज के गरीब और बेसहारा बच्चों को शिक्षित बनाना था। इस ट्रस्ट की ओर से अनेक शिक्षा संस्थानों का संचालन किया जा रहा है।

इत्तेमाद (26 जनवरी) के अनुसार डॉ. कल्बे सादिक के पुत्र कल्बे सिब्तैन नूरी ने टेलीफोन से रक्षामंत्री राजनाथ सिंह से बात की और मौलाना को अवार्ड देने के लिए शुक्रिया कहा।

रोजनामा सहारा (29 जनवरी) ने देवबंद का एक समाचार प्रकाशित किया है जिसमें कहा गया है कि देवबंद के मुसलमानों ने मौलाना वहीदुद्दीन खान को पद्म विभूषण और डॉ. कल्बे सादिक को पद्म भूषण दिए जाने का स्वागत किया है और कहा है कि मोदी सरकार ने योग्य लोगों को अवार्ड देकर एक शानदार मिसाल कायम की है।

इंकलाब (28 जनवरी) में मासूम मुरादाबादी का एक लेख प्रकाशित किया गया है जिसमें कहा गया है कि पहली बार पद्म सम्मान

के लिए सरकार ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों को चुना है। मौलाना वहीदुद्दीन खान और डॉ. कल्बे सादिक ने समाज में सद्भावना और विभिन्न धर्मों के बीच सामंजस्य बनाने की कोशिश की थी। मौलाना वहीदुद्दीन खान 96 वर्ष की आयु में भी धार्मिक पुस्तकों को लिखने में लगे हुए हैं। हालांकि मुस्लिम समाज का एक वर्ग उनकी विचारधारा से सहमत नहीं है। मौलाना कल्बे सादिक ने सामाजिक सुधार और शिक्षा के क्षेत्र में शानदार योगदान दिया है। इस्लामिक केन्द्र के चेयरमैन और मासिक पत्रिका 'अल रिसाला' के संपादक मौलाना वहीदुद्दीन खान को इस वर्ष पद्म विभूषण के सम्मान से सम्मानित किया गया है जो कि भारत रत्न के बाद दूसरा बडा सम्मान है। मौलाना की विचारधारा गांधीवाद से प्रभावित है और उन्हें धार्मिक एकता का पैरोकार माना जाता है। उन्होंने कुरान मजीद की तफ़सीर भी लिखी है और सैकड़ों अन्य पुस्तकें भी लिखी हैं जो कि समाज के लिए मार्गदर्शक हैं।

मौलाना वहीदुद्दीन 1925 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में पैदा हुए थे। 1967-1974 तक वे जमीयत-ए-उलेमा के समाचारपत्र 'साप्ताहिक अल जमीयत' के संपादक भी रहे। वे उर्दू, अरबी, फारसी और अंग्रेजी के विद्वान हैं। उनकी विभिन्न पुस्तकें अंग्रेजी, तुर्की, अरबी और फारसी भाषा में अनुवादित हो चुकी हैं। उन्हें शांति का ध्वजवाहक माना जाता है। कई मुस्लिम विद्वान उनकी विचारधारा से सहमत नहीं हैं। 1989 में उन्हें पाकिस्तान सरकार ने उनकी पुस्तक 'पैगम्बर-ए-इंकलाब' के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी प्रदान किया था। इससे पूर्व सन् 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने उन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित कर चुकी है। मौलाना को दुनिया के 500 सबसे अधिक प्रभावी मुसलमानों की सूची में भी शामिल किया जा चुका है। मौलाना हिन्दुस्तान, पाकिस्तान के मशहूर 'आलिम-ए-दीन' हैं। उन्हें सोवियत राष्ट्रपति ने भी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड प्रदान किया था। इसके अतिरिक्त उन्हें राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। अबूधाबी सरकार भी उन्हें 'सैयदना इमाम अल हसन इब्न अली शांति सम्मान' से नवाज चुकी है। उन्होंने कुरान को सरल और समकालीन अंग्रेजी में अनुवाद किया है और कुरान पर एक टिप्पणी भी लिखी है। वे टीवी चैनलों पर अपने व्याख्यान भी देते रहते हैं। बाबरी मस्जिद विवाद के दौरान भी जब देश के मुसलमान बहुत उत्तेजित थे तो उन्होंने राम मंदिर के निर्माण का समर्थन किया था और धार्मिक सद्भावना बनाए रखने की मुसलमानों से अपील की थी। मौलाना गांधीवादी हैं और हिंदू-मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक हैं। उनकी विचारधारा से अनेक अतिवादी मुस्लिम विद्वानों के मतभेद रहे हैं।

जहां तक मौलाना कल्बे सादिक का संबंध है वे उदारवादी मुस्लिम विद्वान माने जाते रहे हैं। काफी समय तक वे अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष भी रहे। उन्होंने शिया-सुन्नी एकता का जोरदार प्रयास किया। लखनऊ में उनके द्वारा स्थापित अनेक कॉलेज मौजूद हैं। बाबरी मस्जिद पर उन्होंने जो बयान दिया था वह काफी समय तक मुसलमानों में विवाद का केन्द्र रहा। मौलाना कल्बे सादिक ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से एम.ए. और पीएचडी की डिग्री प्राप्त की थी। वे शिया सुन्नी दोनों के एक साथ नमाज पढ़ने के समर्थक थे। ■

मोदी काल में अल्पसंख्यक कल्याण योजना में भारी वृद्धि

सहाफत (24 जनवरी) के अनुसार सेंट्रल वक्फ काउंसिल द्वारा आयोजित विभिन्न राज्यों के वक्फ बोर्डों के अधिकारियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए केन्द्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार मोदी सरकार ने पूरे देश में वक्फ संपत्तियों को माफियाओं के चंगुल से मुक्त करके उनकी आय को मुसलमानों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक उत्थान के लिए इस्तेमाल करने के लिए एक तंत्र का निर्माण किया है। गत छह वर्षों में प्रधानमंत्री अवामी विकास कार्यक्रम के तहत देश के सभी अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में स्कूलों, कॉलेजों, आईआईटी केन्द्रों, गर्ल्स हॉस्टल, आवासीय स्कूलों, कौशल विकास केन्द्रों, सद्भावना मंडपों आदि का भारी संख्या में निर्माण किया गया है। इसका पूरा खर्च केन्द्र की मोदी सरकार ने दिया है। जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी तो अल्पसंख्यकों का कल्याण का कार्यक्रम सिर्फ 90 जिलों तक ही सीमित था। मगर अब इसका विस्तार देश के 308 जिलों, 870 ब्लॉकों, 331 नगरों और हजारों गांवों तक कर दिया गया है।

इन योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक समाज के सभी वर्गों को हो रहा हे। उन्होंने कहा कि देश भर में लगभग 6 लाख 64 हजार पंजीकृत वक्फ संपत्तियां हैं। सभी राज्यों में वक्फ बोर्डों का डिजिटाइजेशन का काम पूरा हो गया है। तमाम राज्यों के वक्फ बोर्डों को वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा प्रदान की गई है। जम्मू-कश्मीर, लेह और कारगिल में वक्फ बोर्ड स्थापित किए जा चुके हैं ताकि वहां की वक्फ संपत्तियों का इस्तेमाल मुसलमानों के उत्थान के लिए किया जा सके। उन्होंने वक्फ अधिकारियों से अपील की कि वे वक्फ संपत्तियों के संरक्षण के लिए कारगर ढंग से कदम उठाएं। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों में वक्फ संपत्तियों में घोटाले और उनपर अवैध कब्जे की शिकायतें मिली थीं। इसलिए केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों को यह निर्देश दिया है कि वे वक्फ संपत्तियों को अवैध कब्जे से मुक्त करें ताकि उनका इस्तेमाल मुसलमानों के कल्याण के लिए किया जा सके।

गणतंत्र दिवस परेड में मंदिरों की झांकियों से अतिवादी परेशान

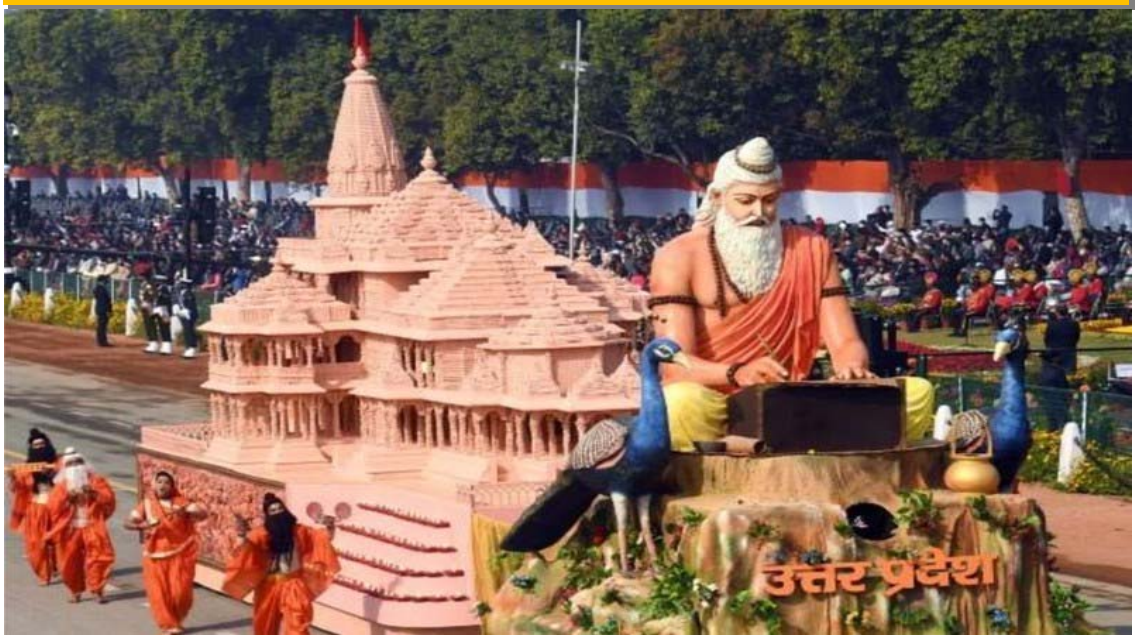

इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित राम मंदिर और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में कुछ प्राचीन मंदिरों की झांकियां गणतंत्र दिवस की परेड में प्रस्तुत की गई थीं। वह मुस्लिम संप्रदाय के कुछ लोगों को पसंद नहीं आई और उन्होंने इसकी आलोचना शुरू कर दी।

इत्तेमाद ने 27 जनवरी के अंक में अपने संपादकीय में लिखा है कि हालांकि हर वर्ष की तरह इस बार भी गणतंत्र दिवस की परेड़ में कई झांकियों को शामिल किया गया था। मगर हैरानी की बात यह है कि गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार राम मंदिर के अतिरिक्त और कई मंदिरों की झांकियां नजर आईं। गुजरात के मोढेरा में स्थित सूर्य मंदिर की झांकी भी इस परेड में शामिल थी। लद्दाख की झांकी भी इसी तरह की थी। दरअसल गणतंत्र दिवस देश की जनता का लोकतांत्रिक त्योहार है। ऐसी स्थिति में परेड में मंदिरों के मॉडलों को झाकियों के रूप में पेश करने से कई तरह का संदेह पैदा होता है। जो लोग सेक्युलरिज्म में विश्वास रखते हैं उनकी नजर में ये झांकियां हिन्दू राष्ट्र से संबंधित सरकार के इरादों का संकेत देती हैं। प्रश्न यह है कि क्या देश की सभ्यता, संस्कृति की झांकियों की आड़ में सिर्फ मंदिरों का प्रदर्शन ठीक है।

गणतंत्र दिवस की परेड में राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की ओर से अपनी-अपनी झांकियों को पेश किया जाता है। जिनमें राज्यों में जारी विकास कार्यों या अन्य महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों को उजागर किया जाता है। लेकिन इस बार पहली बार मंदिरों को इसमें शामिल किया गया। राम मंदिर के मॉडल की झांकी भी परेड में मौजूद थी। परेड में जिस तरह से मंदिरों पर आधारित अनेक झांकियां भी पेश की गई हैं उससे इस भय को बल मिलता है कि सरकारी समारोह में देश को हिन्दू राष्ट्र बनाने की कोशिशों का खुलेआम प्रदर्शन किया जा रहा है। राम मंदिर की झांकी को गणतंत्र की परेड

में शामिल करने से संबंधित समाचार काफी समय से चर्चा में था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस देश की कथित सेक्युलर पार्टियों ने भी इस मुद्दे पर अपनी जुबान नहीं खोली। ऐसा महसूस होता है कि बहुसंख्यक समाज के तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के कारण उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी जुबान खोलने से रोके रखा। हम किसी भी तरह की झांकी जिससे देश की विरासत और संस्कृति की झलक मिले उसे परेड में शामिल करने के खिलाफ नहीं हैं। लेकिन मंदिरों पर आधारित संस्कृति को पेश करते हुए शासक दल क्या संदेश देना चाहता है? इसकी पृष्ठभूमि में उसके क्या लक्ष्य हैं इससे साफ जाहिर होता है। भाजपा हर मामले में राम मंदिर के नाम पर राजनीति करती आ रही है। चाहे वह चुनावी मुद्दा हो या फिर राम मंदिर का निर्माण इस मुद्दे का भाजपा ने चुनाव में खूब लाभ उठाया है।

सर्वोच्च न्यायालय की ओर से राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाए जाने के बाद शायद कुछ लोगों को यह महसूस होने लगा था कि अब भाजपा मंदिर की राजनीति को बंद कर देगी। लेकिन यह भ्रम साबित हुआ। राम मंदिर की आधारशिला रखने के समारोह में प्रधानमंत्री भी शामिल हुए जिस पर कुछ लोगों ने आलोचना भी की लेकिन सरकार ने उसे नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद मंदिर निर्माण के लिए चंदा अभियान शुरू हुआ। भाजपा की ओर से देश भर में चंदे की वसूली का अभियान शुरू करते हुए राम मंदिर के एजेंडे द्वारा देश की जनता को यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि मंदिर का निर्माण केवल भाजपा के द्वारा ही संभव है। इन तमाम हालात के बाद अब गणतंत्र दिवस की परेड में मंदिरों की झांकियों को शामिल करते हुए देश की शासक पार्टी ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि वे अजेय बन चुके हैं इसलिए वे मनमानी करेंगे। क्योंकि देश की जनता के राष्ट्रीय त्योहार में अपने एजेंडे पर आधारित झांकियों को शामिल करना इस बात का खुला प्रमाण है। सरकार को

यह बात याद रखनी चाहिए कि हिन्दू राष्ट्र भले ही आरएसएस-भाजपा का स्वप्न हो मगर यह देश की जनता की इच्छा नहीं है। ऐसी स्थिति में गणतंत्र दिवस परेड में इस तरह की झांकियां शामिल करना उनके इरादों को जाहिर कर रहा है और यह भी संदेश दिया जा रहा है कि निहित राजनीतिक स्वार्थ ने सेक्युलरिज्म पर नियंत्रण कर लिया है।

मुंबई उर्दू न्यूज (17 जनवरी) ने अपने संपादकीय में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा देने की आलोचना की है। समाचारपत्र ने अपने संपादकीय में कहा है कि अदालती फैसले के बाद अयोध्या में बाबरी मस्जिद के स्थान पर निर्माण होने वाले राम मंदिर के लिए चंदा इक्ट्ठे करने का अभियान शुरू कर दिया गया है। समझ में नहीं आता कि जब यह अभियान अभी शुरू हुआ है तो इसी चंदे के लिए निकाली गई रैलियों के कारण मध्य प्रदेश के तीन नगरों में हिन्दू मुस्लिम हिंसा क्यों फूटी? इस दौरान जानबूझकर मस्जिदों के आगे हनुमान चालीसा पढ़ा गया और मस्जिद के गुंबद पर चढ़कर भगवा झंडा लहराने की उत्तेजक हरकत की गई। कुछ क्षेत्रों में मुसलमानों द्वारा पथराव की बातें भी हुईं जिन्हें सबक सिखाने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पथराव करने वालों के खिलाफ कानून लाने का ऐलान भी कर दिया। इसी दौरान इन शहरों में मुसलमानों के कई घर तोड़ने और जलाये जाने के शोकजनक समाचार भी प्राप्त हुए। खैर, अब यह कहा जा रहा है कि राम मंदिर के निर्माण के लिए सबसे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चंदा दिया है। राष्ट्रपति ने मंदिर निर्माण के लिए पांच लाख रुपये चंदा दिया है, जिसके बारे में यह कहा जा रहा है कि उन्होंने इस कार्य का शुभ मुहूर्त कर दिया है। एनडीटीवी के लिए प्रियदर्शन ने अपने प्रसारण में यह सवाल उठाया है कि देश के प्रथम नागरिक का मंदिर निर्माण के लिए चंदा देना कहां तक उचित है? प्रियदर्शन ने कहा कि राष्ट्रपति कोई आदमी नहीं बल्कि देश का प्रथम नागरिक होता है। क्या उसे अपने धर्म के प्रति निष्ठा का ऐसा सार्वजनिक प्रदर्शन करना चाहिए? अगर यह मान भी लें कि राष्ट्रपति को अपने धर्म के प्रति श्रद्धा है तो वे ऐसी स्थिति में गुप्त दान भी दे सकते थे। इससे उनकी आस्था भी बनी रहती और उनके पद की प्रतिष्ठा भी बची रहती। लेकिन यह तब होता जब राष्ट्रपति अपने दान को सिर्फ राम को ही दिखाना चाहते हों। वे इस बात को चाहते होंगे कि देश यह भी देखे कि उन्होंने राम मंदिर के निर्माण के लिए पांच लाख रुपये का चंदा दिया है। यह कहा जा सकता है कि राम ने ही उन्हें इस योग्य बनाया कि वे राष्ट्रपति बन सके। इसलिए वे राम के लिए आभार व्यक्त कर रहे हैं। मगर इसके साथ उन पर इस देश के लोकतंत्र ओर संविधान की जिम्मेवारी भी है। अगर यह संविधान और लोकतंत्र नहीं होता तो उनका राष्ट्रपति बनना तो दूर इस देश के उच्च जाति के लोग शायद कोविंद को मंदिर में दाखिल होने का अधिकार तक नहीं देते और इनका चंदा भी अछूत करार हो जाता। वर्षों पहले हिंदुस्तान के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने भी बनारस में 500 ब्राह्मणों के पांव धोए थे। तब समाजवादी नेता डॉ. राम मनोहर लोहिया ने इसकी खुली आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि यह शर्मनाक दृश्य है कि देश के राष्ट्रपति किसी का सिर्फ इसलिए पांव धोते हैं कि वह ब्राह्मण है। इससे जात-पात को प्रोत्साहन मिलता है।

प्रियदर्शन ने आगे कहा है कि रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति के रूप में जो भी कार्य किया है उससे साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहन मिलता है और देश को अंधकार में धकेलने वाला है। प्रियदर्शन ने कहा है कि उन्होंने संविधान की इस परम्परा के साथ धोखा किया है जो कि हर नागरिक को इस देश में बराबरी के साथ जीने और रहने का अधिकार देता है। यह राष्ट्रपति के फैसले का वैचारिक पहलू है। लेकिन वास्तविकता इससे भी बदतर है। राष्ट्रपति से पांच लाख चंदा लेने वालों का उत्साह काफी बढ़ गया होगा और इस बात की आशंका है कि राम मंदिर के लिए चंदा जुटाने के नाम पर जोर जबर्दस्ती हो सकती है। समाज में टकराव पैदा न किया जाए। यह खतरा घर-घर जाकर चंदा वसूलने के अभियान में मौजूद है। राम मंदिर निर्माण से जुड़े हुए संस्थानों को यह स्पष्ट मार्गदर्शन देना चाहिए कि किसी के भी घर जाकर चंदा न वसूलें बल्कि जो चंदा देने के इच्छुक हैं वे शहरों में बनाए गए केन्द्रों में जाकर चंदा दें। यह मंदिर 90 के दशक में निकाली गई रथ यात्रा की भी देन है, जिसमें रथ के पहियों के साथ-साथ खून की लकीरें भी बनीं। यह छह दिसम्बर 1992 को हुए एक 'बड़े अपराध' का भी नतीजा है जिसमें 400 साल पुरानी मस्जिद को गिरा दिया गया।

इत्तेमाद ने 19 जनवरी के अंक में एक संपादकीय प्रकाशित किया है जिसमें यह शिकायत की है कि राम मंदिर के निर्माण के लिए चंदे की वसूली के नाम पर देश में अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही है। पुराने अनुभव के आधार पर यह कहना गलत नहीं होगा कि जब भी यात्राएं निकाली गईं तब देश की साम्प्रदायिक सद्भावना प्रभावित हुई और खूनी हिंसा भी हुई। देश के विभिन्न राज्यों में अगले कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं इसलिए सत्तारूढ़ दल ने एक बार फिर राम मंदिर के नाम पर राजनीति शुरू कर दी है। इस बार भाजपा राम मंदिर के चंदे की वसूली के नाम पर जनता में जा रही है और इस सिलसिले में देश के पांच लाख गांव में जाने का फैसला किया गया है। चंदे की वसूली के अभियान के तहत एक तीर से कई शिकार किए जा रहे हैं। एक ओर इस अभियान द्वारा सत्तारूढ़ दल बहुसंख्यक समाज को यह संदेश देने का प्रयास कर रहा है कि उसने राम मंदिर के निर्माण का वायदा पूरा कर दिया है और चंदे के नाम पर जनता के बीच जाने का एक मौका भी तलाश लिया है। ज्ञातव्य है कि 1100 करोड़ की लागत से राम मंदिर के निर्माण की योजना बनाई गई है और आशा है कि यह मंदिर 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। उसी वर्ष देश में चुनाव होने वाले हैं और भाजपा राम मंदिर के नाम पर वोट बटोरने की योजना बना रही है।

इत्तेमाद (22 जनवरी) के अनुसार टीआरएस के विधायक विद्यासागर राव ने राम मंदिर के निर्माण पर फंड इक्ट्ठे करने के लिए भाजपा को निशाना बनाया है और जनता से अपील की है कि वह इस राम मंदिर के निर्माण के लिए चंदा न दे। बल्कि वह अपने-अपने नगरों में ही राम मंदिर का निर्माण करे। उनके इस बयान पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जबर्दस्त विरोध प्रकट किया है और विद्यासागर राव के पुतले जलाए हैं। उन्होंने कहा कि तिलक लगाने वाले ही राम के भक्त नहीं होते हम सब भी राम के भक्त हैं।

बाबरी मस्जिद के बदले मिली जमीन पर नई मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू

इंकलाब (28 फरवरी) के अनुसार बाबरी मस्जिद के मुकदमें में हार के बाद एक ओर तो राम मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू हो गया है वहीं मस्जिद के बदले में न्यायालय द्वारा दी गई 5 एकड़ भूमि पर मस्जिद और अन्य भवनों के निर्माण का कार्य भी शुरू हो गया है। गणतंत्र दिवस पर अयोध्या जिले के एक गांव धन्नीपुर में इस मस्जिद का निर्माण प्रारम्भ हो गया है। धन्नीपुर परियोजना के लिए खास तौर पर बनाए गए इंडो इस्लामिक कल्चरल सेंटर ने इस अवसर पर झंडा लहराया और वृक्षारोपण भी किया गया। ट्रस्ट के अध्यक्ष जफर फारूकी ने कहा कि शरीयत में मस्जिद की आधारशिला रखने का कोई प्रावधान नहीं है इसलिए एक सादे समारोह में इस परियोजना का श्रीगणेश किया जा रहा है। ट्रस्ट के सचिव अतहर हुसैन ने बताया कि यह परियोजना मानवता के लिए है। यहां पर 200 बेड का जो अस्पताल बनाया जा रहा है उसका सबसे ज्यादा लाभ स्थानीय लोगों को होगा। कम्युनिटी किचन से हर रोज 2000 गरीब महिलाओं और बच्चों को मुफ्त खाना बांटा जाएगा। उन्होंने कहा कि अल्लाह इस परियोजना को पूरा करने में हमारी मदद करेगा। हम घर-घर जाकर चंदा नहीं लेंगे। नगर चंदा भी ट्रस्ट नहीं लेगा। मस्जिद और अस्पताल के लिए चंदा सिर्फ बैंक खाते के जरिए लिया जाएगा। जिसके लिए अकाउंट खोले जा चुके हैं। इस परिसर में अस्पताल के अतिरिक्त इंडो इस्लामिक कल्चरल सेंटर म्यूजियम, पुस्तकालय और सामूहिक भोजनालय होगा। इस परियोजना के निर्माण में ढ़ाई वर्ष की अवधि लगेगी।

अवधनामा (19 जनवरी) के अनुसार मस्जिद का नक्शा पास कर दिया गया है। इस मस्जिद का नक्शा वास्तु शास्त्र विशेषज्ञ एस.एम. अख्तर ने बनाया है। इस परिसर में दुनिया भर में पाये जाने वाले पौधों की प्रजातियों को लगाया जाएगा। इस अवसर पर लखनऊ में पुराने टीले वाली मस्जिद के इमाम सैयद वासित हुसैन भी मौजूद थे।

इंकलाब (30 जनवरी) के अनुसार धन्नीपुर मस्जिद परियोजना को निर्धारित समय पर पूरा करना शायद संभव नहीं होगा। क्योंकि अभी तक इसके निर्माण के लिए आवश्यक फंड की व्यवस्था नहीं हो सकी है। यह परियोजना 110 करोड़ रुपये की है। मगर अभी तक ट्रस्ट केवल तीन लाख रुपये ही जमा कर पाया है। ये रुपये लोगों ने सीधे बैंक खाते में भेजे थे। ट्रस्ट के सचिव अतहर हुसैन ने यह स्वीकार किया है कि अधिकारियों का रवैया टाल मटोल वाला है और जब तक हमें आयकर विभाग द्वारा विभिन्न प्रमाण पत्र नहीं मिल जाते हम आयकर से छूट के लिए प्रार्थना पत्र नहीं दे सकते हैं। विदेशों से धनराशि प्राप्त करने के लिए एफसीआरए क्लियरेंस की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने हमें आर्थिक सहायता देने का कई वायदा किया था वे अभी धनराशि देने में हिचकिचा रहे हैं। क्योंकि वे पहले आयकर में छूट चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में दो बैंक खाते खोले गए हैं और एक वेब पोर्टल www.iicfindia.com भी शुरू किया गया है। कोई भी दान देने वाला इस वेबसाइट द्वारा फंड जमा करवा सकता है। ज्ञातव्य है कि धन्नीपुर अयोध्या से तीस किलोमीटर दूर है। बाबरी मस्जिद के मुकदमें में सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल बोर्ड को पांच एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का आदेश सरकार को दिया था जिसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने धन्नीपुर में उन्हें 5 एकड़ भूमि उपलब्ध करवाई है। कल्चरल रिसर्च सेंटर का नाम अहमद शाह के नाम पर रखा जा रहा है। ट्रस्ट यह तय कर चुका है कि यहां पर बनने वाली मस्जिद का नाम मुगल वंश या किसी भी मुस्लिम बादशाह के नाम पर नहीं रखा जाएगा।

धन्नीपुर मस्जिद परियोजना प्रारम्भ से ही विवादों में घिरी रही है।

दैनिक सियासत (25 दिसंबर) ने इस योजना का उल्लेख करते हुए कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या के मामले में जो निर्णय सुनाया है इसके बाद राम मंदिर के निर्माण का रास्ता खुल गया है। लेकिन न्यायालय ने बाबरी मस्जिद से संबंधित वैकल्पिक भूमि देने का फैसला करके इस विवाद को बरकरार रखा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों ने अयोध्या में अलॉट की गई भूमि पर मस्जिद के निर्माण को शरीयत और वक्फ एक्ट के विरुद्ध बताया है। गत वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद अयोध्या में निर्माण की जाने वाली मस्जिद अगर वक्फ एक्ट के विरुद्ध है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करनी चाहिए थी। धन्नीपुर मस्जिद के निर्माण के लिए बनाए गए ट्रस्ट के सचिव ने यह स्पष्ट किया है कि हर व्यक्ति शरीयत की परिभाषा अपने अनुसार करता है। जब सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर

भूमि अलॉट होती है तो वह कैसे गैरकानूनी, नाजायज और शरीयत के खिलाफ हो सकती है?

समाचारपत्र का कहना है कि सरकार के दबाव में आकर इन दिनों बड़े से बड़े संस्थान ऐसे काम कर रहे हैं जो कि इस देश के संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक मूल्यों के खिलाफ होते हैं। बाबरी मस्जिद का मामला मुसलमानों के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण और ईमान की भावना को ठेंस पहुंचाने वाला है। मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद एक लम्बे समय तक विरोध प्रकट किया और सरकारों ने इस मस्जिद की शहादत को रूकवाने के वायदे और शहादत के बाद मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए भी मुसलमानों को भरोसा दिलाया था। लेकिन 27 वर्ष के बाद भी बाबरी मस्जिद के बारे में न्यायालय का फैसला मुसलमानों के लिए एक जबर्दस्त झटका सिद्ध हुआ। बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेताओं के बयान बाबरी मस्जिद की पुनर्निर्माण के लिए सहायक सिद्ध नहीं हो सकते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे को पुनः खटखटाया जाए। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अयोध्या के गांव में दी गई भूमि पर बनाई जाने वाली मस्जिद को अवैध और गैर-कानूनी एवं गैर-शरई घोषित करके इस विवाद को नया रूप दे दिया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्क के अनुसार किसी मस्जिद के बदले में कोई भी भूखंड स्वीकार नहीं किया जा सकता। वक्फ संपत्ति को बेचना या उसके बदले में अन्य वैकल्पिक संपत्ति लेना इस्लाम के अनुसार सरासर नाजायज है और वहां पर अगर कोई नमाज पढ़ता है तो वह कबूल नहीं होती। अगर बाबरी मस्जिद के विकल्प के रूप में भूमि लेना ही गलत था तो मुसलमानों ने इसे कबूल क्यों किया? सरकार ने जो ट्रस्ट बनाया था उसमें मुसलमान शामिल क्यों हुए? इस समय केंद्र में सत्तारूढ़ और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दोनों ही मुसलमानों के खिलाफ अपनी नीतियों को कार्यान्वित करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। मुसलमानों और मुस्लिम संगठनों में जब एकता न हो तो सरकार अपने नापाक और घिनौने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसी तरह के हथकंडे अपनाने में सफल होगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाबरी मस्जिद के बदले में वैकिल्पक भूमि स्वीकार करने से इनकार कर दिया था तो अन्य मुस्लिम संगठनों को भी यह भूमि स्वीकार नहीं करना चाहिए था। हिंदुस्तान में मुसलमानों के अंदर एकता के अभाव की वजह से ही मुसलमान कमजोर हो रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि सबसे पहले मुस्लिम संगठन एकजुट हो जाएं तभी हम सरकार के घिनौने मंसूबों का विरोध कर सकते हैं।

विश्व

बाइडेन ने मुस्लिम देशों के नागरिकों पर लगे प्रतिबंध हटाए

सियासत (22 जनवरी) के अनुसार अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा दो दर्जन से अधिक देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर जो प्रतिबंध लगाए थे उन्हें हटाने के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इन देशों में अधिकांश मुस्लिम देश शामिल हैं, जिनमें ईरान, लीबिया, सोमालिया, सीरिया, यमन के अतिरिक्त उत्तरी कोरिया, वेनेजुएला और कई अफ्रीकी देश प्रमुख हैं। इन प्रतिबंधों के हटाए जाने के बाद इन देशों के एक करोड़ से अधिक नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश के द्वार खुल गए हैं। ज्ञातव्य है कि ये प्रतिबंध पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प ने जनवरी 2017 में लगाए थे। बाद में इराकी और सूडानी नागरिकों पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटा लिया गया। मगर इसकी जगह चाड, उत्तर कोरिया और वेनेजुएला को शामिल कर लिया गया है। हालांकि तब व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने इस बात की सफाई दी थी कि इन प्रतिबंधों का मुसलमानों से कोई संबंध नहीं है। मगर अमेरिकी राष्ट्रपति की वेबसाइट में यह स्वीकार किया गया था कि ये प्रतिबंध मुसलमानों के अमेरिका में दाखिले को रोकने के लिए लगाए गए हैं। जब इस पर विरोध हुआ तो इसे हटा लिया गया। इन प्रतिबंधों को अमेरिकी न्यायालय में चुनौती दी गई थी। मगर अमेरिका की सर्वोच्च न्यायालय ने इन प्रतिबंधों को जारी रखने का आदेश दिया।

जनवरी 2020 में ट्रम्प प्रशासन ने इन प्रतिबंधों की अवधि को बढ़ाने की घोषणा कर दी। अमेरिकी मीडिया के अनुसार ट्रम्प प्रशासन द्वारा लगाए गए इन प्रतिबंधों का प्रभाव साढ़े 13 करोड़ लोगों पर पड़ा। इनमें से अधिकांश मुस्लिम देश जैसे- ईरान, सोमालिया, यमन, लीबिया और सीरिया आदि शामिल थे। इन प्रतिबंधों के कारण

आप्रवासन (immigration) के लिए वीजा देने की संख्या में भारी कटौती हुई। उदाहरण के रूप में ईरान से आने वाले नागरिकों को 92 प्रतिशत वीजा कम दिए गए। सोमालिया के 86 प्रतिशत, यमन के 83 प्रतिशत, लीबिया के 80 प्रतिशत और सीरिया के 83 प्रतिशत लोगों को वीजा देने से वंचित किया गया। हालांकि उत्तर कोरिया से आने वाले नागरिकों को दिए जाने वाले वीजा में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अफ्रीकी देश एरीट्रिया को दिए जाने वाले आप्रवासन वीजा बंद कर दिए गए।

इसी तरह से ईरान के नागरिकों को एफ, एम और जे श्रेणी के वीजाओं को छोड़कर अन्य किसी भी श्रेणी के वीजा देने से साफ इनकार कर दिया गया। कजाकिस्तान के नागरिकों को अमेरिका की नागरिकता प्रदान करने पर प्रतिबंध लगाया गया। इसी तरह से लीबिया के नागरिकों को दिए जाने वाले अधिकांश श्रेणी का वीजा देने से इनकार किया गया। म्यांमार के नागरिकों को भी वह वीजा देने पर प्रतिबंध लगाया गया जिसका लाभ उठाकर वह बाद में अमेरिका की स्थाई नागरिकता प्राप्त करने के योग्य हो सकते थे। यही प्रतिबंध नाइजीरिया, सोमालिया और सीरिया के नागरिकों पर भी लगाया गया। तंजानिया, वेनेजुएला एवं यमन के नागरिकों को भी अधिकांश श्रेणियों के वीजा देने से साफ इनकार किया गया। इस कानून के तहत वीजा प्रदान करने के संबंध में इन देशों के दूतावासों के अधिकारियों को असीमित अधिकार प्रदान किए गए थे। इस नई नीति के कारण इन देशों के नागरिकों को अमेरिका में रहने वाले अपने परिवारजनों से भी मुलाकात करने से रोक दिया गया। जिन लोगों ने इन प्रतिबंधों से छूट के लिए प्रार्थना पत्र दिए थे उनमें से केवल दो प्रतिशत को ही इन नियमों से छूट दी गई। ट्रम्प के इस फैसले का इस्लामिक जगत में भारी विरोध किया गया और उन्हें मुसलमान विरोधी घोषित किया गया।

मुस्लिम देशों के बार-बार दबाव के बावजूद ट्रम्प ने अपने इस आदेश में कोई भी परिवर्तन करने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि इन देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर इसलिए प्रतिबंध लगाया गया है क्योंकि वे अमेरिका की एकता, सार्वभौमिकता और अखंडता के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकते हैं। खास बात यह है कि इन प्रतिबंधों से अनेक अरब देशों को मुक्त रखा गया जो कि ट्रम्प प्रशासन के सहयोगी माने जाते थे। ट्रम्प प्रशासन ने अंतिम दिनों में अरब जगत के मुस्लिम देशों को विभाजित करने का प्रयास किया। उनकी यह नीति थी कि इजरायल के संबंध विभिन्न मुस्लिम देशों से बढ़ाए जाएं और ईरान को अलग-थलग रखा जाए। ट्रम्प प्रशासन की इस नीति के फलस्वरूप कतर, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात और सूडान ने इजरायल को मान्यता दी और उसके साथ व्यापारिक और अन्य संबंध स्थापित किए। बाद में अरब देशों ने कतर पर यात्रा संबंधी जो प्रतिबंध लगाए थे उनको भी अमेरिकी दबाव पर हटा लिया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति की इस नीति के कारण मुस्लिम देशों के अमेरिका के साथ संबंधों में नया अध्याय शुरू होने की संभावना व्यक्त की जा रही है।

दो पाकिस्तानी संगठन आतंकवादी संगठनों की सूची में शामिल

अवधनामा (17 जनवरी) के अनुसार अमेरिकी प्रशासन ने दो पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों लश्कर-ए-झंगवी और लश्कर-ए-तैयबा को विदेशी आतंकवादी संगठनों की सूची में पुनः शामिल कर लिया है। इनके अतिरिक्त जिन अन्य संगठनों को इस सूची में शामिल किया गया है उनमें इस्लामिक स्टेट, जैश रिजल अल-तारिक अल-नक्शबंदी, जमात अंसार अल मुस्लिमीन, बोको हरम, अल नासिर फ्रंट, आइरिस रिपब्लिकन आर्मी, नेशनल लिब्रेशन आर्मी आदि शामिल हैं।

जहां तक लश्कर-ए-झंगवी का संबंध है यह मूल रूप से सुन्नी देवबंदी विचारधारा वाला आतंकवादी संगठन है जिसका मुख्यालय अफगानिस्तान में किसी अज्ञात स्थान पर है। यह संगठन पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सक्रिय है। इसी संगठन की एक शिया विरोधी शाखा सिपाह-ए-सहाबा पाकिस्तान है, जिसके संस्थापकों में रियाज बसरा, मलिक इशाक, अकरम लाहौरी और गुलाम रसूल शाह शामिल हैं। यह संगठन काफी समय से पाकिस्तान में शियाओं के खून से होली खेल रहा है। 2013 में इस संगठन ने क्वेटा में 200 से अधिक शियाओं का नरसंहार किया था। इस संगठन पर मोमिनपुरा हत्याकांड और अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल की हत्या का भी आरोप है। बताया जाता है कि 2009 में इसी आतंकवादी संगठन ने लाहौर में श्रीलंका की क्रिकेट टीम पर हमला किया था और कई निर्दोष लोग इस हमले में मारे गए थे। इस संगठन में पंजाबियों का वर्चस्व है। इस संगठन के प्रमुख रियाज बसरा 2002 में पाकिस्तान पुलिस के साथ हुई एक मुठभेड़ में मारा गया था। बाद में इसकी कमान गुलाम रसूल शाह ने संभाली। यह संगठन पाकिस्तान में 2001 से प्रतिबंधित है। इसे कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका द्वारा आतंकवादी संगठन घोषित किया जा चुका है। अप्रैल 1999 में अहमदी सम्प्रदाय के खलीफा मिर्जा ताहिर हुसैन के भतीजे की इसी आतंकवादी संगठन ने हत्या कर दी थी। अप्रैल 2002 में इस संगठन ने एक

बस में बम रखा था, जिसमें 11 फ्रांसीसी सहित 15 यात्री मारे गए थे। मार्च 2002 में इस संगठन ने इस्लामाबाद में एक गिरजाघर में बम रखा था। इस हमले में 5 ईसाई मौके पर मारे गए थे और 40 घायल हो गए थे।

पाकिस्तान सरकार के सूत्रों के अनुसार इस जिहादी संगठन का हाथ पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो और अन्य 20 व्यक्तियों की हत्या में भी था। इस संगठन ने मस्तूंग (बलूचिस्तान) की एक दरगाह पर हमला करके 26 शिया यात्रियों की हत्या कर दी थी जो कि ईरान जा रहे थे। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई के अनुसार 2011 में इस संगठन ने काबुल के समीप एक शिया दरगाह में 59 व्यक्तियों की हत्या तब कर दी जब वे इमामबाड़ा में मातम मना रहे थे। क्वेटा में एक शिया इमामबाड़ा पर हमला करके इस आतंकवादी संगठन ने 13 लोगों की हत्या की थी जिनमें दो महिलाएं और एक पुलिस वाला भी शामिल था। पाकिस्तानी सूत्रों के अनुसार जनवरी 2013 में इस आतंकवादी संगठन ने पाकिस्तान के विभिन्न नगरों में अनेक बम धमाके किए थे जिनमें कम-से-कम 125 निर्दोष मारे गए थे।

इसी संगठन ने मोहम्मद अली जिन्नाह विश्वविद्यालय पर हमला करके एक दर्जन से अधिक छात्रों की हत्या कर दी थी। फरवरी 2013 मे क्वेटा में एक शिया जुलूस पर हमला करके 81 लोगों की हत्या की गई और 200 से अधिक लोग घायल हो गए। अगस्त 2015 में इस आतंकवादी संगठन ने पाकिस्तान की राष्ट्रीय असेंबली के एक शिया सदस्य शुजा खानजादा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस समय इस संगठन की कमान युसूफ मंसूर खुरासानी के हाथ में है। इस संगठन के तार तालिबान, इस्लामिक मुवमेंट ऑफ उजबेकिस्तान, अहले सुन्नत वलजमात, अलकायदा और जुंदअल्लाह से जुड़े हुए हैं।

जहां तक लश्कर-ए-तैयबा का संबंध है इसका शाब्दिक अर्थ है- 'खालिस लोगों की सेना।' इसका गठन 1990 में अफगानिस्तान के कोनार प्रदेश में किया गया था। इस समय इसका मुख्यालय लाहौर के नजदीक मुरीदके नामक कस्बे में है और इसका प्रमुख हाफिज मोहम्मद सईद है। 1993 में इस संगठन के आतंकवादियों ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की और वहां पर एक इस्लामिक आतंकवादी संगठन इंकलाबी मोहाज स्थापित किया। भारत में इस संगठन पर प्रतिबंध है। संयुक्त राष्ट्र संघ भी इस संगठन को प्रतिबंधित कर चुकी है। पाकिस्तान में इस संगठन पर जनरल परवेज मुशर्रफ के शासनकाल में जनवरी 2002 में प्रतिबंध लगाया गया था। इस संगइन का लक्ष्य जम्मू कश्मीर को भारत के चंगुल से मुक्त कराना है। हाल ही में इसकी गतिविधियां चेचन्या और मध्य एशिया के अनेक देशों में बढ़ी हैं। कुछ दिनों पूर्व इस आतंकवादी संगठन के प्रमुख हाफिज सईद को पाकिस्तान की एक न्यायालय ने 12 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। गुप्तचर सूत्रों के अनुसार इस संगठन का मुख्यालय मुरीदके में 200 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। इसे अरब देशों से भारी मात्रा में आर्थिक सहायता मिलती है। भारत सरकार के अनुसार इसके तार पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी आईएसआई, तालिबान और अलकायदा से जुड़े हुए हैं। गुप्तचर विभाग के पूर्व प्रमुख एमके नारायणन के अनुसार यह संगठन भारत में काफी सक्रिय है।

अफगानिस्तान में खेली जा रही है खून की होली

रोजनामा सहारा (18 जनवरी) के अनुसार अफगानिस्तान में एक कार पर हमला करके दो महिला न्यायाधीशों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जबकि दो अन्य न्यायाधीश घायल हुए। बताया जाता है कि आतंकवादियों ने इनकी कार पर कला-ए-फतहुल्लाह नामक स्थान पर हमला किया था। सरकारी सूत्रों के अनुसार कंधार सूबे के शाह वली कोट में सैनिकों ने 30 तालिबान को मौत के घाट उतार दिया और उनके तीन ठिकाने तबाह कर दिए जहां पर भारी संख्या में अस्त्र-शस्त्र व गोला बारूद रखा हुआ था। सेना ने यह कार्रवाई तालिबान द्वारा कंधार में एक फौजी छावनी पर हमले के जवाब में की। इस हमले में एक दर्जन सैनिक मारे गए थे।

इस घटना पर टिप्पणी करते हुए **दैनिक सियासत** ने 19 जनवरी के संपादकीय में कहा है कि हालांकि अफगानिस्तान की सरकार और तालिबान के बीच काफी दिनों से बातचीत का सिलसिला चल रहा है मगर इसके बावजूद भी अफगानिस्तान में आतंकवादी सक्रिय हैं। जजों की हत्या की गंभीरता को नजरअंदाज करना गलत होगा। इन महिला जजों को उस वक्त अपना निशाना बनाया गया जब वे सरकारी कार से न्यायालय जा रही थीं। अफगानिस्तान में 200 से अधिक महिला न्यायाधीश हैं। अफगानिस्तान में न्यायालयों को निशाना बनाने की यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी फरवरी 2017 में सर्वोच्च न्यायालय पर एक जिहादी हमला हुआ था जिसमें कम-से-कम 12 लोग मारे गए थे।

रोजनामा सहारा (19 जनवरी) के अनुसार तालिबान ने एक चेक पोस्ट पर हमला करके आठ सैनिकों की हत्या कर दी जबकि दो व्यक्ति घायल हुए और कई सैनिक लापता हैं।

इंकलाब (21 जनवरी) के अनुसार अफगानिस्तान के अनेक क्षेत्रों में तालिबान के हमलों में भारी तेजी आई है और इन हमलों में 45 से अधिक सैनिक मारे गए हैं। तालिबान ने अनेक सैनिक चौकियों पर कब्जा कर लिया है।

इंकलाब (20 जनवरी) के अनुसार अफगान सेना और तालिबान के बीच हुई खूनी झड़पों में कम-से-कम 100 तालिबान मारे गए हैं जबकि 38 सैनिक घायल हुए हैं। गैर-सरकारी सूत्रों के अनुसार मरने वालों की संख्या अधिक बताई जाती है।

अफगान शांति वार्ता पर पुनर्विचार

अवधनामा (26 जनवरी) के अनुसार अमेरिका के नए राष्ट्रपति बाइडेन के सत्ता में आने के बाद तालिबान के साथ चल रही शांति वार्ता के संबंध में पुनर्विचार किए जाने की संभावना है। पर्यवेक्षकों के अनुसार अमेरिका के नए राष्ट्रपति का विचार है कि अफगानिस्तान में सक्रिय आतंकवादियों से समझौते में कोई जल्दबाजी न की जाए। अमेरिकी राष्ट्रीय परिषद के परामर्शदाता ने अफगानिस्तान के उच्चस्तरीय रक्षा अधिकारियों से बातचीत करते हुए कहा कि जिस तरह से अफगानिस्तान में

आतंकवादियों की गतिविधियों में तेजी आई है उसके कारण तालिबान के साथ चल रही शांति वार्ता अर्थहीन है। हालांकि अमेरिका इस बात के लिए इच्छुक है कि अफगानिस्तान में शांति स्थापना हो। मगर वह इस संबंध में कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता। जानकार सूत्रों का कहना है कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति ट्रम्प प्रशासन की तालिबान के साथ हुई वार्ता से संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए वे अफगानिस्तान के बारे में नई नीति तैयार करना चाहते हैं। उनका कहना है कि नया प्रशासन जल्दबाजी में अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने के पक्ष में नहीं है। हालांकि अभी तक अमेरिका का नया प्रशासन अफगानिस्तान के वार्ताकार जलमय खलीलजाद को हटाने के पक्ष में नहीं हैं।

अफगान मामलों के विशेषज्ञ समी युसूफजाई का कहना है कि ट्रम्प प्रशासन ने तालिबान को जिस तरह से ढील दी थी वह नए प्रशासन में संभव नहीं होगा। जब तक तालिबान स्थाई तौर से अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने का वायदा नहीं करते हैं और वे इस बात का आश्वासन नहीं देते हैं कि वे सेना पर कोई हमला नहीं करेंगे तब तक उनसे आगे कोई बातचीत नहीं की जाएगी। अगर तालिबान शांति चाहते हैं तो उन्हें इससे पहले अफगानिस्तान में शांति स्थापित करनी होगी। जानकार सूत्रों का यह कहना है कि नए राष्ट्रपति द्वारा तालिबान के खिलाफ सख्त रूख अपनाए जाने की संभावना है। नया प्रशासन अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने के पक्ष में नजर नहीं आता। वह एक ओर शांति वार्ता और दूसरी ओर सैनिकों पर हमलों को सहन करने के लिए कतई तैयार नहीं है। ■

मलेशिया में पाकिस्तानी यात्री विमान जब्त

अवधनामा (16 जनवरी) के अनुसार पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (पीआईए) के एक यात्री विमान बोइंग 777 को मलेशिया के अधिकारियों ने अपने कब्जे में ले लिया है। पीआईए का यह विमान मलेशिया पहुंचा था। जब वह वापस रवाना होने वाला था तो अचानक स्थानीय अधिकारियों ने विमान चालकों को सूचित किया कि अदालती निर्देश पर पाकिस्तान के इस जहाज को सरकार अपने कब्जे में ले रही है। पीआईए के अधिकारियों ने यह स्वीकार किया कि इस विमान के भुगतान न किए जाने का विवाद ब्रिटेन की एक न्यायालय में चल रहा है और इसी न्यायालय के निर्देश पर यह विमान मलेशिया की सरकार ने अपने कब्जे में लिया है। इस विमान में बैठे हुए 100 से अधिक पाकिस्तानी यात्रियों को एक अन्य विमान द्वारा पाकिस्तान भेजा गया। पाकिस्तानी सरकार के सूत्रों के अनुसार पीआईए ने 12 वर्ष पूर्व यह विमान एक ब्रिटिश फर्म से लीज पर लिया था और इसके भुगतान के बारे में पाकिस्तान सरकार और इस ब्रिटिश कम्पनी के बीच विवाद चल रहा है। विवाद एक करोड़ 40 लाख मिलियन डॉलर का है। यह विवाद गत छह महीने से ब्रिटिश न्यायालय में विचाराधीन है। पाकिस्तान सरकार का कहना है कि लिजिंग कम्पनी जहाज के किराए के रूप में जानबूझकर ज्यादा दावा पेश कर रही है।

पाकिस्तानी सरकार के एक प्रवक्ता के अनुसार मलेशिया स्थित पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारी इस विवाद का कोई हल निकालने का प्रयास कर रहे हैं। मलेशिया में पीआईए के जहाज को वहां की सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लेने के मुद्दे को पाकिस्तान के विपक्षी दलों ने उछालना शुरू कर दियाहै। मुस्लिम लीग (नवाज) की प्रवक्ता मरियम औरंगजेब ने इस घटना पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि आज पाकिस्तान की बागडोर नालायकों, मूर्खों और चोरों के हाथ में है। इसके कारण दुनिया भर में पाकिस्तान की जग हंसाई हो रही है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सचिव ने कहा है कि इस घटना से दुनिया भर में पाकिस्तान की नाक कट गई है। पाकिस्तान सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि यह जहाज 12 वर्ष पहले लीज पर लिया गया था। कोरोना काल में गत कई महीनों से यह खड़ा हुआ था। पूरी दुनिया में कोरोना के कारण लीज के रेट कम हुए हैं इसलिए पीआईए भी लिजिंग कम्पनी से नए दरों पर बात कर रही है। उन्होंने कहा कि हम देश का धन बचाना चाहते हैं इसलिए लीज की रेट में कटौती की मांग कर रहे हैं।

तुर्की और पाकिस्तान में रक्षा सहयोग

इत्तेमाद (25 जनवरी) के अनुसार तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि पाकिस्तान और तुर्की को एक जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञातव्य है कि तुर्की पाकिस्तानी नौ सेना के लिए एक जलपोत का निर्माण कर रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति ने यह विचार इस युद्ध जलपोत के निर्माण कार्य के उद्घाटन के अवसर पर व्यक्त किए। तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि पाकिस्तान हमारा भाई देश है और उसके साथ मिलकर हम अनेक रक्षा परियोजनाओं में भागीदार हैं। उन्होंने कहा कि तुर्की रक्षा क्षेत्र में पाकिस्तान के साथ अपने सहयोग को जारी रखेगा। हाल ही में दोनों देशों ने एक स्ट्रेटेजिक इकोनोमिक फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए हैं। पाकिस्तान के लिए तुर्की कई युद्ध जलपोतों का निर्माण कर रहा है। इस जलपोत को पनडुब्बी के हमलों का निशाना नहीं बनाया जा सकता।

अमेरिका की पश्चिम एशिया नीति में परिवर्तन के संकेत

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पश्चिम एशिया की नई नीति की तैयारी शुरू कर दी है। इसके कारण सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को भारी परेशानी हो रही है।

अवधनामा (29 जनवरी) के अनुसार नए राष्ट्रपति ने ट्रम्प की पश्चिम एशिया की नीति को बदलने के संकेत देने शुरू कर दिए हैं। नए अमेरिकी राष्ट्रपति ने सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को अस्त्र-शस्त्र बेचने पर रोक लगा दी है। इससे पूर्व ट्रम्प प्रशासन ने अरबों डॉलर के अस्त्र-शस्त्रों को दोनों देशों को बेचने की मंजूरी दी थी। रिपोर्ट के अनुसार दोनों अरब देशों को मिसाइल सिस्टम एफ 35 युद्ध विमान बेचने और अन्य आधुनिकतम अस्त्र-शस्त्र सप्लाई किए जाने थे। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह संकेत दिया है कि अस्त्र-शस्त्रों की बिक्री के फैसलों पर पुनर्विचार किया जा रहा है। बताया जाता है कि बाइडेन प्रशासन यमन में अमेरिकी अस्त्र-शस्त्र के इस्तेमाल के पक्ष में नहीं है।

ज्ञातव्य है कि अमेरिकी कांग्रेस के फैसलों को ट्रम्प प्रशासन ने यह तर्क देकर कार्यान्वित करने से इनकार कर दिया था कि ईरान के साथ बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए आपातकालीन स्थिति में सऊदी अरब और अन्य देशों को आठ अरब डॉलर के अस्त्र-शस्त्रों की सप्लाई की जाए। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि फिलहाल नए अमेरिकी प्रशासन ने संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के साथ हुए रक्षा संधियों पर पाबंदी लगा दी है जिसके कारण संयुक्त अरब अमीरात को आधुनिकतम लॉकहीड मार्टिन एफ 35 लड़ाकू विमान नहीं बेचे जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त सऊदी अरब को भी मिसाइल व्यवस्था और अस्त्र-शस्त्र सप्लाई किए जाने के मामले में पुनर्विचार किया जा रहा है।

अमेरिकी विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने इस बात की पुष्टि की है कि ट्रम्प प्रशासन ने सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को

आखिरी दिनों में अस्त्र-शस्त्रों की सप्लाई करने के बारे में यह समझौता किया था उस पर पुनर्विचार किया जा रहा है। इनमें संयुक्त अरब अमीरात को 23 अरब डॉलर के युद्ध विमान सप्लाई करने का मामला भी शामिल है। गत वर्ष दिसंबर महीने के अंत में अमेरिकी सरकार ने सऊदी अरब को 29 करोड़ डॉलर के 3000 आधुनिकतम गाइडेड मिसाइल बेचने की भी मंजूरी दी थी। इसका उल्लेख करते हुए अपने चुनाव अभियान में बाइडेन ने यह वायदा किया था कि यमन में विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी अरब को सप्लाई किए जाने वाले अस्त्र-शस्त्रों पर रोक लगाई जाएगी।

इत्तेमाद (17 जनवरी) के अनुसार ट्रम्प प्रशासन ने यह फैसला किया था कि अमेरिकी सेंट्रल कमान में इजरायल को भी शामिल किया जाए। यह निर्णय इजरायल के साथ बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात, सूडान और मोरक्को के साथ संबंध स्थापित किए जाने की पृष्ठभूमि में लिया गया था। इस ऐलान के बाद अमेरिकी सेंट्रल कमान में 21 देश शामिल हो गए थे जिनका लक्ष्य ईरान के खिलाफ इस क्षेत्र के विभिन्न देशों के बीच तालमेल में वृद्धि करना था। इस फैसले का समर्थन अमेरिकी सेंट्रल कमान के प्रमुख माइक जोंस ने किया था। इजरायल के एक उच्चाधिकारी ने यह दावा किया है कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने यह संकेत दिया है कि अमेरिका का नया प्रशासन इजरायल और अरब देशों के बीच संबंधों को सुधारने की पुरानी नीति का ही अनुसरण करेगा। इजरायली विदेश मंत्रालय के मध्य पूर्व विभाग के प्रमुख एलियव बेंजिमन ने यह दावा किया कि मुझे यह महसूस नहीं होता कि अमेरिका का नया प्रशासन इजरायल के संबंध में किसी नीति में परिवर्तन करेगा। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि अमेरिका का नया प्रशासन सऊदी अरब, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात से संबंधित नीति के मामले में पुनर्विचार कर रहा है।

इत्तेमाद ने 24 जनवरी के अंक में प्रकाशित एक समाचार में दावा किया है कि यमन के मामले में अमेरिकी प्रशासन सऊदी अरब को किसी तरह की सहायता देने के पक्ष में नहीं है। अमेरिका के मनोनीत विदेश मंत्री ने कहा है कि हम यमन में सऊदी अरब के हस्तक्षेप का समर्थन नहीं करेंगें। हम इस फैसले पर भी पुनर्विचार कर रहे हैं जिसमें ट्रम्प प्रशासन ने हूतियों को आतंकवादी संगठन घोषित किया था। अमेरिका ने यह फैसला किया है कि सऊदी अरब को भविष्य में लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं दी जाएगी और न ही अस्त्र-शस्त्रों की सप्लाई की जाएगी। यमन के मानवाधिकारों के पक्षधर और नोबल पुरस्कार प्राप्त तवाकुल करमान ने गत दिनों बाइडन से यह अनुरोध किया था कि वे यमन पर हमले के लिए अमेरिकी अस्त्र-शस्त्रों की सप्लाई बंद करें। उन्होंने यह भी कहा था कि यमन में जो युद्ध चल रहा है उसमें गत छह वर्षों में दो लाख लोग मारे जा चुके हैं और लाखों बेघर हो गए हैं। सारी अर्थव्यवस्था तबाह हो गई है और यमन के ढ़ाई करोड़ लोग विदेशी सहायता पर निर्भर हो गए हैं। यमन में गृह युद्ध 2014 में तब प्रारम्भ हुआ था जब हूती विद्रोहियों ने यमन की राजधानी साना पर कब्जा कर लिया था और राष्ट्रपति मंसूर हादी की सरकार का तख्ता पलट दिया था। सऊदी अरब ने मार्च 2015 में अपदस्थ सरकार की ओर से सैनिक हस्तक्षेप किया था और यह युद्ध सऊदी अरब और ईरान के परोक्ष युद्ध में बदल गया था क्योंकि ईरान हूती शियाओं का समर्थन कर रहा था।

सऊदी अरब में साढ़े ग्यारह अरब रियाल के घोटाले का पर्दाफाश

सहाफत (29 जनवरी) के अनुसार सऊदी अरब के भ्रष्टाचार निरोधी विभाग ने सरकारी बैंक के पदाधिकारियों, पुलिस तथा अन्य सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से विदेशों में बेनामी खातों में साढ़े ग्यारह अरब रियाल भेजे जाने के कई मामलों का पता लगाया है। सरकारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार जो बेनामी नकद धनराशि इन व्यापारिक खातों के द्वारा विदेशों में भेजी गई है उसका मूल्य बारह अरब रियाल है। इस संबंध में पांच विदेशियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से 97 लाख रियाल बरामद किए गए हैं जो वे फर्जी खातों द्वारा विदेशों को भेजना चाहते थे। इस संबंध में 32 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें से सात व्यापारी, 12 बैंक अधिकारी, एक पुलिस अधिकारी और अन्य विदेशी शामिल हैं। पहला केस एक स्थानीय व्यापारी का है जिसने अपने और अपनी पत्नी तथा अपने बेटे के नाम पर कई फर्जी कंपनियां स्थापित की और उनके बैंक खाते खोले गए। इन बैंक खातों में विभिन्न लोगों द्वारा धनराशि जमा करवाई गई और इस घोटाले पर पर्दा डालने के लिए एक पुलिस अधिकारी को तीन लाख रियाल रिश्वत दी गई। दूसरे केस में पांच प्रमुख व्यापारियों को जाली कंपनियां बनाने और उनके द्वारा धनराशि को अवैध रूप से विदेशों में भेजने का आरोप है। इस घोटाले पर पर्दा डालने के लिए 40 लाख रियाल रिश्वत के रूप में दिए गए। तीसरे मुकदमें में एक बैंक के मैनेजर को भी विदेशों में धनराशि भेजने का आरोपी पाया गया था। यह बैंक अधिकारी विदेशियों के नाम पर फर्जी खाते खोलकर पैसे विदेश भेजता था।

सियासत (21 जनवरी) के अनुसार भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने रक्षा मंत्रालय के एक उच्चाधिकारी को गबन के आरोप में पांच वर्ष की सजा दी है और गबन की गई सारी धनराशि को उसके कब्जे से जब्त करके कौमी खजाने में जमा करवाया गया है। आवास मंत्रालय के तीन अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोप में दो से दस वर्ष कैद की सजा दी गई है और उनकी सारी संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के कई डॉक्टरों को भी भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़ा गया है और इस सिलसिले में पांच डॉक्टरों को पांच-पांच वर्ष की सजा दी गई है। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार यह अभियान युवराज मोहम्मद बिन सलमान के निर्देश पर चलाया गया था। इस संबंध में एक सऊदी महिला को भी गिरफ्तार किया गया है जिसने 12 हजार रियाल रिश्वत लेकर घटिया इंजेक्शन खरीदने में भूमिका निभाई थी।

इजरायल द्वारा ईरान पर हमले की तैयारी

सहाफत (29 जनवरी) के अनुसार इजरायली सेना के प्रमुख ने यह दावा किया है कि इजरायल ने ईरान के खिलाफ सैनिक कार्रवाई करने के लिए अपनी सेना को तैयारी करने का आदेश दे दिया है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ईरान पर परमाणु उर्जा के संवर्द्धन पर लगाए गए प्रतिबंधों को वापस लेता है तो यह सबसे बड़ी गलती होगी। इस चेतावनी का महत्व हाल ही में इजरायली मीडिया में प्रकाशित इन समाचारों से बढ़ जाता है, जिसमें यह दावा किया गया है कि

अमेरिका ईरान के साथ अपने संबंधों पर पुनर्विचार कर रहा है। यह पहली बार है कि किसी इजरायली सैनिक अधिकारी ने अमेरिकी नीति के बारे में खुलकर मत व्यक्त किया है। हाल ही में नए राष्ट्रपति से फ्रांस ने अनुरोध किया था कि वे ईरान से संबंधों पर पुनर्विचार करें।

इस संबंध में **सियासत** (19 जनवरी) में प्रकाशित समाचार में यह दावा किया गया है कि फ्रांस के रक्षामंत्री ने यह दावा किया है कि ईरान अपने परमाणु संवर्द्धन के कार्यक्रम में निरंतर वृद्धि कर रहा है और अमेरिका ने उस पर जो प्रतिबंध लगाए थे उनका वह खुल्लमखुल्ला उल्लंघन कर रहा है। फ्रांस के विदेश मंत्री ने यह दावा किया है कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प ने ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की जो नीति अपनाई थी वह सही थी और उसी नीति को अमेरिका के नए राष्ट्रपति को भी जारी रखना चाहिए। हालांकि ईरान ने यह दावा किया है कि यूरेनियम संवर्द्धन के उसके कार्यक्रम का लक्ष्य परमाणु हथियार बनाना नहीं है।

ज्ञातव्य है कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए छह देशों ने ईरान के साथ एक परमाणु समझौता किया था जिसमें यूरेनियम संवर्द्धन के कार्यक्रम को जारी रखने पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसी दौरान ईरान के एक सर्वोच्च परमाणु वैज्ञानिक की कथित तौर पर इजरायल द्वारा हत्या किए जाने के कारण इस बात का दावा किया गया था कि इस हत्या से ईरान के परमाणु संवर्द्धन कार्यक्रम को भारी झटका लगा है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने कहा है कि अमेरिका ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों को नरम कर सकता है। मगर इससे पूर्व उसे इस बात की गारंटी देनी होगी कि ईरान पांच देशों के साथ हुए परमाणु समझौते पर अमल करेगा। मगर ईरान का दबाव इस पर है कि अमेरिका पहले उस पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाए उसके बाद ही वह अमेरिका को कोई आश्वासन देगा।

इंकलाब (29 जनवरी) के अनुसार ईरान के एक उच्चाधिकारी ने इजरायल द्वारा ईरान पर हमले की धमकी का उल्लेख करते हुए कहा कि इजरायल में इतना दम नहीं है कि वह ईरान को अपने हमले का निशाना बना सके। हम किसी भी विदेशी हमले का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।

सऊदी अरब की राजधानी में धमाके

सियासत (28 जनवरी) के अनुसार सऊदी अरब की राजधानी रियाद में कई जोरदार धमाके हुए। सऊदी प्रशासन ने इन धमाकों पर किसी भी तरह की टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सऊदी अरब की राजधानी में दो जोरदार धमाके हुए। सोशल मीडिया में प्रसारित वीडियो के अनुसार एक मिसाइल को तबाह होते हुए भी देखा जा सकता है। संवाद समिति राइटर्स के अनुसार नगर में दो जोरदार धमाकों की आवाज सुनाई दी और वातावरण में धुएं के काले बादल भी देखे गए। सऊदी अरब के सरकारी चैनल अल अरबिया ने दावा किया है कि नगर के उपर एक मिसाइल को तबाह कर दिया गया है। यह मिसाइल किसी अज्ञात जगह से दागा गया था। इस हमले का उल्लेख करने पर हूती विद्रोहियों ने कहा है कि उनका इस हमले में कोई हाथ नहीं है। परन्तु एक अज्ञात आतंकी गुट अलविया अलवाद अल-हक ने इस हमले की

जिम्मेवारी कबूल की थी। 2015 से हूती विद्रोही सऊदी अरब को अपना निशाना बना रहे हैं।

इत्तेमाद (25 जनवरी) के अनुसार एक इराकी जिहादी संगठन ने सऊदी अरब पर हमले की जिम्मेवारी कबूल की है और कहा है कि यह बगदाद में हुए आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों के खून का बदला था। इस संगठन ने यह दावा किया कि रियाद में स्थित कुछ महलों को निशाना बनाया गया था और अगर सऊदी अरब और अबूधाबी इराक पर अपने आतंकवादी हमले जारी रखेंगे तो दुबई के अड्डे को भी अपना निशाना बनाया जाएगा। ज्ञातव्य है कि बगदाद में एक भीड़ भरे बाजार में दो आत्मघाती फिदाइनों ने स्वयं को धमाकों से उड़ा दिया जिसके कारण कम-से-कम 25 लोग मारे गए और सौ से अधिक जख्मी हुए। कई इराकी संगठनों ने इन धमाकों के लिए सऊदी अरब और उनके सहयोगियों को दोषी करार दिया है। दूसरी ओर इस्लामिक स्टेट ने यह दावा किया है कि शियाओं को अपना निशाना बनाने का अभियान वह जारी रखेगा।

ईरान द्वारा आधुनिक बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन का सफल परीक्षण

इत्तेमाद (17 जनवरी) के अनुसार ईरान ने एक आधुनिकतम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ईरान ने एक अड्डे से 1800 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक लक्ष्य को निशाना बनाया। इस बैलिस्टिक मिसाइल को हाल ही में ईरान ने तैयार किया है। इस अवसर पर ईरान के प्रमुख सेनापति मोहम्मद बाघेरी ईरान के पासदाराने इंकलाब फोर्स के कमांडर मोहम्मद हुसैन सलामी, वायु सेना के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अमीर अली हाजीजादेह और ईरान के तीनों सेनाओं के उच्चाधिकारी शामिल थे। ईरान ने अपने मिसाइल द्वारा 1800 किलोमीटर दूर जिस निशाने को तबाह किया वह हिंद महासागर में स्थित था। ईरान ने युद्धाभ्यास शुरू कर दिए हैं। ईरानी सेना के दावे के अनुसार इन मिसाइलों को रास्ते में तबाह नहीं किया जा सकता और ये अपने निशाने पर जाकर उसे तबाह करती हैं।

ईरानी सेना ने आधुनिक ड्रोनों का भी इस्तेमाल किया है। ईरान के सेनापति जनरल बाघेरी ने कहा है कि हालांकि हमारा इरादा किसी भी देश पर हमला करने का नहीं है मगर किसी देश ने हमारे देश पर हमला किया तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि सैनिक अभ्यास दो सप्ताह तक जारी रहेंगे। हमने जो मिसाइल विकसित किए हैं वह नजदीक, मध्यम और लम्बी दूरी तक स्थित अपने निशानों को सफलतापूर्वक तबाह कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम इस बात को बता देना चाहते हैं कि ईरान के दुश्मन चाहे जमीन पर हों, समुद्र में हों या हवा में हों हम उन्हें पूरी शक्ति से तबाह कर सकते हैं।

अन्य

संयुक्त अरब अमीरात का इजरायल में दूतावास खोलने का फैसला

अवधनामा (26 जनवरी) के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात ने इजरायल की राजधानी तेल अबीब में दूतावास खोलने की मंजूरी दे दी है। संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने यह घोषणा की है कि वह शीघ्र ही तेल अबीब में अपना दूतावास खोल लेगी। संयुक्त अरब अमीरात और इजरायल के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे।

सियासत (23 जनवरी) के अनुसार सऊदी अरब ने भी कतर की राजधानी दोहा में अपना दूतावास पुनः खोलने का फैसला किया है। समाचारपत्र के अनुसार सऊदी विदेश मंत्री ने घोषणा की है कि चारों देशों का क्योंकि कतर के साथ समझौता हो चुका है। इसलिए चारों देश कतर का बहिष्कार समाप्त करके सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और मिस्र वहां पर अपने दूतावास खोल रहे हैं। कतर एयरवेज ने सऊदी अरब में विमान सेवा शुरू करने का फैसला किया है। सऊदी अरब ने भी साढ़े तीन वर्ष के बाद कतर के साथ अपनी विमान सेवा शुरू कर दी है। ज्ञातव्य है कि जून 2017 में कतर के साथ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और मिस्र ने अपने राजनयिक और व्यापारिक संबंध तोड़ लिए थे और उसकी नाकेबंदी की घोषणा कर दी थी। अब अमेरिका के प्रयासों से इन देशों ने कतर के साथ अपने संबंध पुनर्स्थापित कर लिए हैं। ■

मुस्लिम समाज में बढ़ते अपराधों पर चिंता

मुंबई उर्दू न्यूज (19 जनवरी) के अनुसार तौसीफ रिसर्च सेंटर (हैदराबाद) के संस्थापक मौलाना वकारी फारूक अजीज ने मुस्लिम समाज में बढ़ती हुई अराजकता, नैतिक पतन और अपराधों की बढ़ती हुई संख्या पर गहरी चिंता प्रकट की है। उन्होंने कहा है कि हैदराबाद में एक मुस्लिम नेता मोहम्मद खलील से कर्ज लेने वालों ने सरेआम पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी। क्योंकि उसने अपना कर्ज वापस मांगा था। पैगम्बर रसूल ने किसी मुसलमान को बिना वजह कत्ल करने की घोर निंदा की है। मुसलमानों में अपराधों की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है वह बेहद खतरनाक है। पिछले दिनों सरकारी तौर पर यह दावा किया गया था कि विभिन्न जेलों में जो मुसलमान कैदी बंद हैं उनकी संख्या मुसलमानों की आबादी से चार गुना अधिक है। मुसलमान नेताओं को अपराधों की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोकने के बारे में गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए।

इंकलाब (18 जनवरी) ने एक सर्वेक्षण प्रकाशित किया है जिसमें यह दावा किया गया है कि दिल्ली के मुस्लिम क्षेत्रों में कोरोना महामारी के बाद खाने पीने की दुकानों में भारी वृद्धि हुई है। राजधानी के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों जाफराबाद, सीलमपुर, कर्दमपुरी, नूर इलाही, कबीर नगर,

मुस्तफाबाद, खजूरी और सीमापुरी में सारी रात होटल और खाने-पीने की दुकाने खुली रहती हैं। मुस्लिम एकता कमेटी के अध्यक्ष हाजी एकराम हुसैन ने यह स्वीकार किया है कि मुसलमानों की नई पीढ़ी में अपराधों की प्रवृत्ति में तेजी से वृद्धि होती जा रही है। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब इन क्षेत्रों में कोई न कोई गंभीर आपराधिक घटनाएं न होती हों। नई पीढ़ी में अवैध अस्त्र-शस्त्र इक्ट्ठे करने का रूझान भी बढ़ा है। हाल ही में जाफराबाद में एक युवक के बहन की जब बारात आई थी तो उसके कमर में बंधा अवैध कट्टा उसके डांस करते समय फट गया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उन्होंने मुसलमानों के बुजुर्गों से अपील की कि वे अपनी नई पीढ़ी पर नजर रखें ताकि वे गुमराह न हों। मुस्लिम काउंसिल के अध्यक्ष रूखसार अहमद ने कहा है कि मुसलमानों की नई पीढ़ी क्षेत्र में सारी रात खुले होटलों पर अड्डा जमाती है। हाल ही में जामा मस्जिद के पास चितली कबर में दो गुटों के बीच गोलियां चलीं। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम समाज के बुजुर्गों को नई पीढ़ी में बढ़ती हुई आपराधिक प्रवृत्ति को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।

पश्चिम बंगाल में एक नई मुस्लिम राजनीतिक पार्टी

इंकलाब (22 जनवरी) के अनुसार मुसलमानों में लोकप्रिय फुरफुरा शरीफ दरगाह के प्रमुख अब्बास सिद्दीकी ने अपनी एक नई राजनीतिक पार्टी बनाई है जिसका नाम इंडियन सेक्युलर फ्रंट रखा गया है। उन्होंने घोषणा की है कि उनकी पार्टी अन्य मुस्लिम पार्टियों के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव में भाग लेगी। ज्ञातव्य है कि गत दिनों मजलिस के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने अब्बास सिद्दीकी से कई बार मुलाकात की थी और ओवैसी ने यह घोषणा की थी कि उनकी पार्टी अब्बास सिद्दीकी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव में भाग लेगी। जब उनसे पूछा गया कि ममता बनर्जी ने उन पर यह आरोप लगाया था कि वे भाजपा के हाथों में खेल रहे हैं और उनका लक्ष्य मुस्लिम मतदाताओं को विभाजित करके पश्चिम बंगाल में भाजपा को सत्ता में लाना है तो सिद्दीकी ने जवाब में कहा कि आप ममता बनर्जी से भी तो सवाल पूछें कि दस वर्ष पूर्व तक पश्चिम बंगाल में भाजपा का नामोंनिशान नहीं था।

अब वह किस कारण से बंगाल में अपने पैर पसारने में सफल हुई है? उन्होंने आरोप लगाया है कि ममता की राजनीतिक नीतियों के कारण राज्य में भाजपा दिन-प्रतिदिन मजबूत हो रही है। क्योंकि दस वर्ष में ममता बनर्जी ने अल्पसंख्यकों, आदिवासियों और दलितों के कल्याण के लिए कोई काम ही नहीं किया है। उन्होंने अपने सत्ताकाल में मुसलमानों को अपना निशाना बनाया। उनके दुर्व्यवहार के कारण ही उन्हें तृणमूल कांग्रेस छोड़नी पड़ी और अब वे इन वर्गों को न्याय दिलाने के लिए चुनावी मैदान में कूदे हैं।

दरगाहों प्रमुखों की मुख्तार अब्बास नकवी से मुलाकात

इंकलाब (20 जनवरी) के अनुसार दरगाह अजमेर शरीफ और अन्य दरगाहों के सज्जादा नशीनों ने अजमेर शरीफ दरगाह के प्रमुख दीवान सैयद जैनुल अबेदीन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल में निजामुद्दीन दरगाह के प्रमुख पीर अहमद निजामी, दरगाह चिश्तिया गुजरात के सज्जादा नशीन सैयद जियाउद्दीन शाह, दरगाह हजरत सैयद अमीर अब्दुल इलाही, आगरा के सज्जादा नशीन इनायत अली, दरगाह हजरत सैयद शाह जमाल हैदराबाद के सज्जादा नशीन फिराकत अली के अतिरिक्त कर्नाटक के सैयद शाह जकी हसनी और अफजल महमूद फारूकी के अतिरिक्त एक दर्जन से अधिक अन्य दरगाहों के सज्जादा नशीन शामिल थे। बताया जाता है कि इन सज्जादा नशीनों ने दरगाहों की समस्याओं, वक्फ, हज आदि की कठिनाईयों के संबंध में नकवी को अवगत कराया और इन परेशानियों को दूर करने का आग्रह किया।

मुंबई उर्दू न्यूज (21 जनवरी) के अनुसार सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल के एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल से मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कुल हिंद सज्जादा नशीन काउंसिल (एआईएसईसी) के चेयरमैन सैयद नजीरूद्दीन चिश्ती कर रहे थे। इस प्रतिनिधिमंडल द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को आश्वासन दिया गया कि अगर मोदी सरकार आतंकवादी तत्वों के खिलाफ कोई भी सख्त कदम उठाती है तो उनका संगठन सरकार को पूरा सहयोग देगा क्योंकि सूफी सम्प्रदाय अमन चाहता है और वह आतंकवाद के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि हम देश में किसी भी तरह के आतंकवाद को प्रोत्साहन देने के खिलाफ हैं। इस प्रतिनिधिमंडल ने यह भी मांग की कि देश भर में फैली हुई सूफी दरगाहों के हितों की रक्षा के लिए सरकार एक विशेष मंत्रालय का गठन करे। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार डोवाल ने राष्ट्र के नवनिर्माण में मुसलमानों की भूमिका की प्रशंसा की और यह स्वीकार किया कि सामाजिक समरसता और भाईचारे को प्रोत्साहन देने में देश भर में फैली हुई दरगाहें महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

फ्रांस की नौ मस्जिदों पर ताला

मुंबई उर्दू न्यूज (17 जनवरी) के अनुसार फ्रांस में बढ़ते हुए इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ सरकार ने अपना अभियान तेज कर दिया है। फ्रांस के गृहमंत्री गेराल्ड डार्मेनिन ने बताया कि फ्रांस ने इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत नौ मस्जिदों को बंद करने का फैसला किया है। ये मस्जिदें फ्रांस के विभिन्न नगरों में स्थित हैं। ज्ञातव्य है कि पिछले वर्ष अक्टूबर महीने में एक छात्र ने अपने शिक्षक की हत्या कर दी थी। क्योंकि उसने क्लास में रसूल के चित्र को छात्रों को दिखाया था। इस घटना के बाद फ्रांस में इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ जबर्दस्त माहौल पैदा हुआ था। इसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने इस्लामिक आतंकवाद को सख्ती से दबाने का फैसला किया है। फ्रांस की नेशनल असेंबली ने एक कानून पास करके मुस्लिम शरणार्थियों के फ्रांस में शरण लेने पर भी रोक लगा दी है।

भाजपा को मुसलमानों में लोकप्रिय बनाने का अभियान

हमारा समाज (1 जनवरी) के अनुसार भाजपा के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जमालुद्दीन सिद्दीकी ने कहा है कि मुस्लिम समाज में भारतीय जनता पार्टी के विस्तार की विशेष योजना बनाई गई है, जिसके तहत संगठन और निर्वाचित संस्थानों में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाएगा। अल्पसंख्यकों में भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो गलतफहमियां हैं उनका निराकरण करके हम अल्पसंख्यकों को भाजपा की ओर आकर्षित करने के लिए विशेष अभियान चला रहे हैं। इसकी शुरुआत पंचायतों, नगरपालिकाओं आदि संस्थानों में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए की जाएगी।

संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमने यह नारा दिया है, 'जो चुनाव लड़ेगा वही आगे बढ़ेगा।' मुसलमानों में भाजपा के कार्यकर्ता तैयार करने और उनके प्रशिक्षण का विशेष कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। हमारा यह प्रयास है कि मुसलमान भाजपा की ओर आकर्षित हों और वे सरकार द्वारा मुसलमानों को दी जाने वाली सुविधाओं का पूरा-पूरा लाभ उठाएं। पत्रकारों के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने यह स्वीकार किया कि भाजपा या संघ परिवार के बारे में मुसलमानों में अनेक भ्रांतियां हैं जो कि सरासर बेबुनियाद हैं।

उन्होंने कहा कि मेरा अपना अनुभव यह है कि संघ परिवार या भाजपा को धर्मांतरण में कोई रुचि नहीं है। मुसलमानों का भरोसा जीतने के लिए यह जरूरी है कि मुसलमानों को संगठन और निर्वाचित संस्थानों में उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। क्योंकि भाजपा सबका साथ और सबका विकास चाहती है। हम धार्मिक आधार पर राजनीति में विश्वास नहीं करते। अगर कोई व्यक्ति धार्मिक भावनाएं भड़काता है तो वह भाजपा के सिद्धांतों के खिलाफ काम करता है। उन्होंने कहा कि जब अल्पसंख्यक मोर्चा मजबूत होगा तो पार्टी में अल्पसंख्यकों और विशेष रूप से मुसलमानों की बात ज्यादा सुनी जाएगी।